VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365 सारांश

सामाजिक मुद्दे

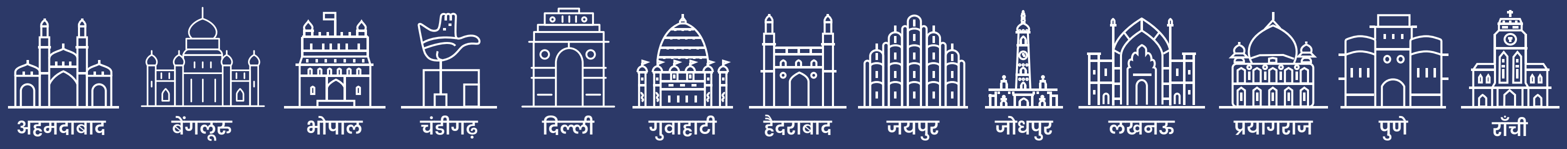

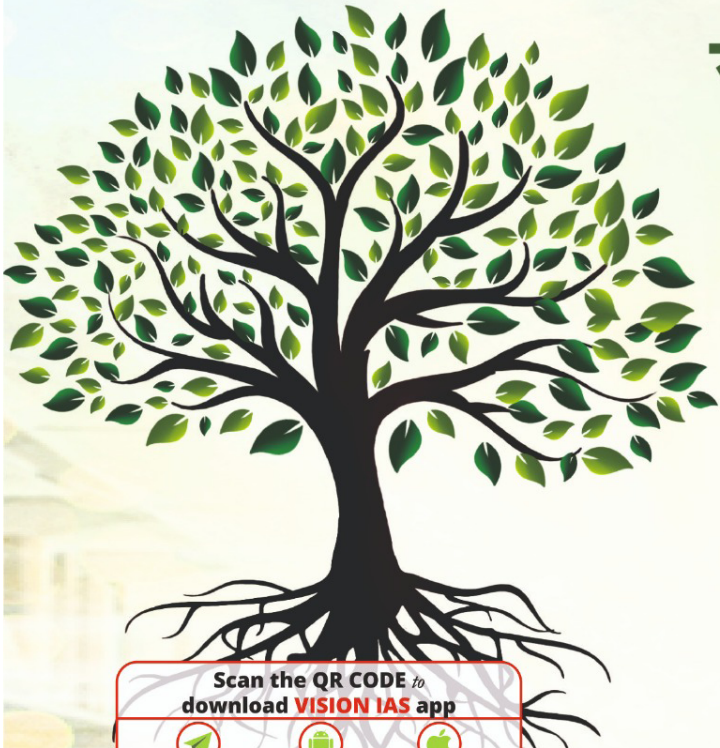

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE *to* download VISION IAS app

DELHI : 7 अगस्त, 2 PM | JAIPUR : 20 जुलाई | JODHPUR : 10 अगस्त

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

10 in Top 10 Selections in CSE 2024 (from various programs of VISIONIAS)

हिन्दी माध्यम में 30+ चयन

AIR	नाम
137	अंकिता कांति
182	रवि राज
412	जितेंद्र कुमावत
438	ममता
448	सुख राम
483	ईश्वर लाल गुर्जर
509	अमित कुमार यादव
554	विमलोक तिवारी
564	गौरव छिम्वाल
618	राम निवास सियाग
622	आलोक रंजन
651	अनुराग रंजन वत्स
689	खेतदान चारण
718	रजनीश पटेल
731	तेशुकान्त
760	अश्वनी दुबे
795	कर्मवीर नरवाडिया
865	आनंद कुमार मीणा
873	सिद्धार्थ कुमार मीणा
890	सुषमा सागर
893	अरुण मालवीय
895	अजय कुमार
899	रितिक आर्य
911	अरुण कुमार
921	ममता जोगी
925	विजेंद्र कुमार मीणा
953	राजकेश मीणा
998	इकबाल अहमद

विषय सूची

1. भारतीय समाज और प्रौद्योगिकी का प्रभाव (INDIAN SOCIETY AND प्रभाव OF TECHNOLOGY) 5

1.1. उभरती प्रौद्योगिकियां और समकालीन समाज (Emerging Technologies and Contemporary Society) 5

1.1.1. प्रौद्योगिकी और शिक्षा (Technology and Education) 5

1.1.2. प्रौद्योगिकी और समाजीकरण (Technology and Socialization) 5

1.1.3. प्रौद्योगिकी और परिवार (Technology and Family) 6

1.1.4. प्रौद्योगिकी और सेक्सुअलिटी व्यवहार (Technology and Sexual Behaviour) 6

1.1.5. वित्तीय क्रांति और समाज (Financial Revolution and Society) 7

1.2. टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स डिजिटल इंडिया में सांस्कृतिक पूंजी को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं (Tier-2 Influencers redefining Cultural Capital in Digital India) 7

1.3. सिनेमा और समाज (Cinema and Society) 8

1.4. सामाजिक पहचान (Social Identities) 8

1.5. पारिवारिक संस्था में बदलाव (Changing Institution of Family) 9

1.5.1. परिवार-आधारित बाल देखभाल (Family-based Child Care) 9

2. महिलाएं (Women) 12

2.1. महिलाओं के नेतृत्व में विकास (Women-Led Development) 12

2.2. महिला नेतृत्व वाले स्वयं-सहायता समूह (SHGs): लखपति दीदी {Women-Led Self-Help Groups (SHGS): Lakhpati Didi} 12

2.3. बढ़ता हुआ 'मैनोस्फीयर' लैंगिक समानता के समक्ष गंभीर खतरा (Rising Manosphere threatening Gender Equality) 13

2.4. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment of Women at Workplace) 13

3. बच्चे (Children) 15

3.1. प्रौद्योगिकी और बच्चे (Technology and Children) 15

3.2. बच्चों में सोशल मीडिया की लत (Social Media Addiction in Children) 15

3.3. बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (Child Sexual Exploitative and Abuse Material: CSEAM) 16

3.4. बाल श्रम (Child Labour) 16

3.5. बाल विवाह (Child Marriage) 17

4. अन्य सुभेद्य समूह (OTHER VULNERABLE SECTIONS)...20

4.1. भारत में जनजातीय जनसंख्या (Tribal Population in India) 20

4.1.1. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan) 20

4.2. अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार (Atrocities Against Scheduled Castes) 21

4.3. दिव्यांगजन (PWDs) {Persons with Disability (PwDs)} 21

4.3.1. दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 {Rights of Persons With Disabilities (RPWD) Act, 2016} 22

4.4. वरिष्ठ नागरिक-देखभाल (Senior-care) 22

4.4.1. अंतर-पीढ़ीगत संवाद की कमी (INTER-GENERATIONAL COMMUNICATION GAP) 23

4.5. हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा (Manual Scavenging) 24

5. शिक्षा (EDUCATION) 25

5.1. स्कूली शिक्षा (School Education) 25

5.2. त्रिभाषा फॉर्मूला (Three-Language Formula) 25

5.3. लर्निंग आउटकम (Learning Outcomes) 26

5.4. भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा (Quality Higher Education in India) 26

5.4.1. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन (Performance of Indian Universities in QS World University Rankings) 27

5.5. भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस (Foreign University campus in India) 27

5.6. भारत में रैगिंग के मामले (Ragging in India) 28

6. स्वास्थ्य देखभाल (HEALTHCARE) 29

6.1. आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat PM-JAY) 29

6.2. डिजिटल स्वास्थ्य (Digital Health) 29

6.3. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (Mental Healthcare) 30

6.4. मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन (Maternal Health and Family Planning) 31

7. पोषण और विकासात्मक मुद्दे (NUTRITION AND DEVELOPMENTAL ISSUES) 33

7.1. मध्यम-आय वर्ग (Middle-Income Class: MIC) 33

7.2. कार्यस्थल ऑटोमेशन से जुड़े सामाजिक लाभ (Social Implications of Workplace Automation) 33

7.3. वर्क फ्रॉम होम (Work from Home) 34

7.3.1. भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' ('Right to Disconnect' in India) 35

7.4. जनसंख्या वृद्धि और प्रबंधन (Population Growth and Management) 35

7.5. ग्लोबल हंगर इंडेक्स (Global Hunger Index) 36

7.6. शहरीकरण (Urbanization) 36

7.7. आंतरिक विस्थापन (Internal Displacement) 37

7.8. अकेलापन (Loneliness) 38

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

प्रिय अभ्यर्थियों,

आपकी सहायता के लिए, हमने VisionIAS मेन्स 365 स्टडी मटेरियल से आवश्यक जानकारी का संकलन कर मेन्स 365 सामाजिक मुद्दे डॉक्यूमेंट का सारांश तैयार किया है। जैसा कि आप सभी को पता है **VisionIAS** का Mains 365 स्टडी मटेरियल करेंट अफेयर्स के व्यापक कवरेज के लिए प्रसिद्ध है।

Mains 365 सामाजिक मुद्दे डॉक्यूमेंट हालिया सामाजिक घटनाक्रमों, उनकी प्रासंगिकता, और व्यवहारिक चुनौतियों, समाधान की संभावनाओं तथा उपयोगी केस स्टडीज़ का एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह सामग्री विशेष रूप से आपके UPSC मेन्स उत्तरों को तथ्यात्मक, संतुलित और समकालीन दृष्टिकोण से समृद्ध करने के लिए तैयार की गई है।

यह डॉक्यूमेंट आपको प्रमुख टॉपिक को जल्दी और प्रभावी ढंग से रिवाइज करने में मदद करेगा।

अपनी तैयारी में सुधार करने और UPSC मेन्स में अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए इन जानकारियों का उपयोग कीजिए।

1. भारतीय समाज और प्रौद्योगिकी का प्रभाव (INDIAN SOCIETY AND प्रभाव OF TECHNOLOGY)

1.1. उभरती प्रौद्योगिकियां और समकालीन समाज (Emerging Technologies and Contemporary Society)

ICT, AI जैसी प्रौद्योगिकियां समकालीन समाज के विभिन्न पहलुओं को आकार देने और बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

सकारात्मक प्रभाव

- बेहतर संचार और सूचना पहुँच,
- कार्य की बदलती प्रकृति (दूरस्थ कार्य)
- विकसित होते सामाजिक संबंध जैसे रुचि-आधारित मंच, हाशिए पर पड़े समूहों (महिलाएँ, LGBTQIA+ आदि) के लिए ऑनलाइन स्थान

नकारात्मक प्रभाव

- डिजिटल विभाजन मौजूदा सामाजिक असमानताओं को और बढ़ाता है।
- सामाजिक अलगाव, व्यसन/मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं (साइबर बुलिंग)।
- नई पेरेंटिंग चुनौतियां (स्क्रीन टाइम), और वर्चुअल रिश्तों से बेवफाई का जोखिम।
- नौकरी का विस्थापन (ऑटोमेशन/AI) और पारंपरिक कौशल का ह्रास।
- ध्रुवीकरण और एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह (फिल्टर बबल्स, डिजिटल इको-चैम्बर)।

निष्कर्ष

सामाजिक उत्थान के लिए प्रौद्योगिकी का नैतिक और सचेतन संचालन महत्वपूर्ण है।

1.1.1. प्रौद्योगिकी और शिक्षा (Technology and Education)

प्रौद्योगिकी ने लर्निंग के तरीके को बदल दिया है। इसने शिक्षकों को इमर्सिव व व्यक्तिगत लर्निंग का अनुभव प्रदान करने के लिए सशक्त बनाया है और शिक्षा की पहुँच को भी बढ़ाया है।

मुख्य पहलें

- नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एन्हांस्ड लर्निंग (NPTEL)
- **DIKSHA** (डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग)
- **SWAYAM** (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स)

सकारात्मक प्रभाव

- व्यक्तिगत लर्निंग का अवसर (उदाहरण के लिए, केरल के स्कूलों में VR/AR का उपयोग)
- शिक्षक के प्रोडक्टिविटी में सुधार।
- बेहतर पहुंच (ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, जाति/वर्ग की बाधाओं को तोड़ना)।

नकारात्मक प्रभाव

- शिक्षकों के साथ कम बातचीत और मूल्यों को विकसित करने में बाधाएं।
- शिक्षा की गुणवत्ता में कमी और निगरानी में कठिनाइयाँ।
- ध्यान भटकाना/दुरुपयोग (सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम)।

आगे की राह (नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर द्वारा)

- मिश्रित शिक्षा (ऑनलाइन और अनुभवात्मक)
- विभिन्न भाषाओं में शैक्षिक कार्यक्रम
- किफायती कंप्यूटिंग उपकरण और बुनियादी ढांचा।

1.1.2. प्रौद्योगिकी और समाजीकरण (Technology and Socialization)

समाजीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न सामाजिक एजेंटों जैसे कि परिवार, स्कूल और साथियों से **सामाजिक व्यवहार, मानदंड और मूल्य** प्राप्त करते हैं।

समाजीकरण में प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया की भूमिका को "**सोशियो-वर्चुलाइजेशन**" कहा जा सकता है।

सकारात्मक प्रभाव

- विविध संस्कृतियों/पृष्ठभूमि/धर्मों के संपर्क में आने से दृष्टिकोण का विस्तार।
- इंटरैक्शन में वृद्धि के कारण समाजीकरण में साथियों की भूमिका।
- सामाजिक कौशलों का गेमीफिकेशन (जैसे ओपिनियन पोल), लोकतांत्रिक आत्म-अभिव्यक्ति।

नकारात्मक प्रभाव

- आलोचनात्मक सोच का अभाव और मानदंडों की अंध स्वीकृति।
- मानवीय संपर्क में कमी (मोबाइल फ़ोन बच्चों को गोद में लेकर स्नेह करने जैसी मानवीय संवेदनाओं की जगह ले रहा है)।
- निहित स्वार्थों को बढ़ावा (रुढ़िवादी धार्मिक/जातिगत मानदंडों का प्रचार करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल)।

निष्कर्ष

प्रत्यक्ष सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देकर और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर सीमाएं निर्धारित करके नकारात्मक प्रभावों को प्रबंधित किया जा सकता है।

1.1.3. प्रौद्योगिकी और परिवार (Technology and Family)

हाल के समय में, प्रौद्योगिकी ने परिवारों के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है, जिसमें बातचीत से लेकर पालन-पोषण तक शामिल हैं।

सकारात्मक प्रभाव

- बेहतर संचार और कनेक्टिविटी (वीडियो कॉल)
- बेहतर वर्क-लाइफ संतुलन (हाइब्रिड वर्क)
- महिलाओं के लिए अवकाश का समय बढ़ा (उन्नत मशीनें, IoT)

नकारात्मक प्रभाव

- "तनहा साथ-साथ" विरोधाभास: भौतिक उपस्थिति लेकिन वास्तविक अनुपस्थिति, सामाजिक अलगाव की ओर ले जाती है।
- पालन-पोषण पर प्रभाव (बच्चों को गोद में लेकर स्नेह देना कम हो गया है, पीढ़ीगत भावनात्मक अधिकार का क्षरण)
- संघर्ष के नए रूप (वैवाहिक संबंध, निजता की सुरक्षा)।

निष्कर्ष

आमने-सामने की बातचीत को प्राथमिकता दी जाए, स्क्रीन टाइम को कम किया जाए, और तकनीक के नैतिक उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाई जाए।

1.1.4. प्रौद्योगिकी और सेक्सुअलिटी व्यवहार (Technology and Sexual Behaviour)

सेक्सुअलिटी और प्रजनन जैसे विषयों पर चर्चा वर्जित मानी जाती थी। हालांकि, सूचना प्रौद्योगिकी ने लोगों को विचारों के आदान-प्रदान और जानकारी साझा करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया है।

सकारात्मक प्रभाव

- विश्वसनीय जानकारी तक पहुँच (यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, टेलीमेडिसिन)।
- महिलाओं और LGBTQIA+ समुदाय की चिंताओं को आवाज देना (दहेज आदि पर सोशल मीडिया पर बहस)
- आत्म-अभिव्यक्ति का माध्यम और यौन शिक्षा प्रदान करना।

नकारात्मक प्रभाव

- अनचाहा एक्सपोज़र (पोर्नोग्राफी)
- नाबालिगों में कम्पल्सिव यौन व्यवहार और यौन अपराधों में वृद्धि। उदाहरण के लिए, मेटावर्स में यौन उत्पीड़न
- ऑनलाइन नकारात्मक/रुढ़िवादी पितृसत्तात्मक विचारों का प्रसार।

निष्कर्ष

पालन-पोषण, कंटेंट की फ़िल्टरिंग और प्रौद्योगिकी तक पहुंच से गलत धारणाओं को दूर किया जा सकता है।

1.1.5. वित्तीय क्रांति और समाज (Financial Revolution and Society)

फिनटेक क्षेत्र तेज़ी से बढ़ रहा है, और UPI लेन-देन की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इन विकासों ने समाज में वित्तीय लेन-देन के तरीकों को बदल दिया है।

सकारात्मक प्रभाव

- वित्तीय समावेशन में वृद्धि (UPI से महिलाओं और अनुसूचित जातियों को लाभ) और ऋण पहुँच (सूक्ष्म-वित्त, P2P ऋण)
- पारदर्शिता और दक्षता (आधार-आधारित DBT)
- जोखिम लेने/खर्च करने की क्षमता में वृद्धि।

नकारात्मक प्रभाव

- बढ़ती असमानता (क्रिप्टोकरेंसी तक पहुँच) और अस्थिरता का मध्यम वर्ग पर प्रभाव।
- वित्तीय धोखाधड़ी (डिजिटल अरेस्ट घोटाले) में वृद्धि, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खामियों का दुरुपयोग (डार्कनेट)।

निष्कर्ष

वित्तीय समावेशन के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त विनियमन और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने की आवश्यकता है।

1.2. टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स डिजिटल इंडिया में सांस्कृतिक पूंजी को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं (Tier-2 Influencers redefining Cultural Capital in Digital India)

हाल ही में, टियर-2 और टियर-3 शहरों के डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स यानी छोटे कस्बों से आने वाले कंटेंट क्रिएटर्स का उदय हुआ है। इनका भारत में डिजिटल प्रभाव और सांस्कृतिक पूंजी की गतिशीलता पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

- **पियरे बोरदियू** के अनुसार **सांस्कृतिक पूंजी** गैर-आर्थिक संपत्तियों को संदर्भित करती है, जैसे- **शिक्षा, भाषा और सांस्कृतिक ज्ञान**, जो सामाजिक गतिशीलता प्रदान करते हैं।
- **पारंपरिक सांस्कृतिक पूंजी** पश्चिमी, शहरी और अभिजात्य प्रभावों से प्रभावित है। उदाहरण के लिए, अंग्रेज़ी भाषा, दिल्ली और मुंबई का फैशन ट्रेंड पर प्रभाव।
- **टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स का उदय** इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तक लोकतांत्रिक पहुँच के कारण है।

टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स कैसे सांस्कृतिक पूंजी को फिर से परिभाषित कर रहे हैं

- **रुचि और प्रभाव का विकेंद्रीकरण:** ग्रामीण/क्षेत्रीय प्रतीक शहरी प्रतीकों के पूरक हैं।
- **सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थानीय भाषा:** IAMAI के आंकड़ों के अनुसार, 50% से अधिक शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ता क्षेत्रीय भाषा में कंटेंट का उपयोग करना पसंद करते हैं।
- **लोक और स्थानीय परंपराओं का पुनरुद्धार:** उदाहरण के लिए- विलेज कुकिंग चैनल।
- **आकांक्षा का लोकतंत्रीकरण:** परिष्करण की बजाय प्रामाणिकता को प्राथमिकता।
- **निम्न-वर्गीय अभिव्यक्तियों के लिए मंच:** दलित/आदिवासी/OBC क्रिएटर्स उदाहरण के लिए- खबर लहरिया।

निहितार्थ

- **सांस्कृतिक लोकतंत्रीकरण** और शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटना।
- **आर्थिक सशक्तीकरण: ShareChat और Moj** पर लगभग 80% क्रिएटर्स टियर-2 व टियर-3 शहरों से हैं।
- **बदलता राजनीतिक परिदृश्य:** चुनावों में डिजिटल क्रिएटर्स द्वारा स्थानीय मुद्दों को उठाना।

चुनौतियां

- **डिजिटल डिवाइड** और एल्गोरिदम पूर्वाग्रह (सनसनीखेज कंटेंट को प्राथमिकता देना)।
- ग्रामीण संस्कृति को **रुढ़िवादिता/ टोकनिज़्म** के रूप में दिखाना, वायरल होने के लिए संस्कृति का वस्तुकरण।

निष्कर्ष

टियर-2 इन्फ्लुएंसर्स प्रामाणिकता और विविधता को महत्व देते हुए समावेशी, लोकतांत्रिक सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देते हैं।

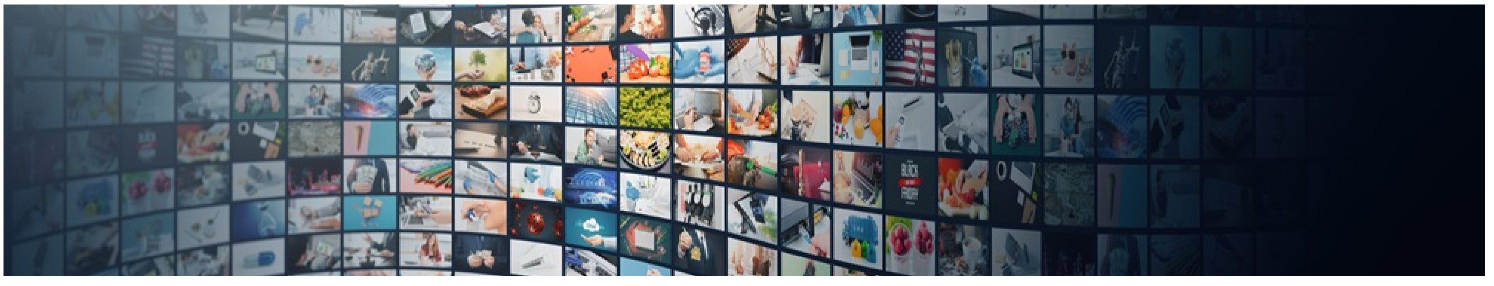

1.3. सिनेमा और समाज (Cinema and Society)

सिनेमा व्यक्तिगत और सामाजिक आख्यानों को प्रतिबिंबित करने वाली "**सातवीं कला (सेवंथ आर्ट)**" है। केरल उच्च न्यायालय ने हिंसक सामग्री के सामाजिक प्रभाव के प्रबंधन के साथ-साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने पर भी ज़ोर दिया।

भारतीय समाज पर सिनेमा का सकारात्मक प्रभाव

- **सांस्कृतिक विविधता की वैश्विक मान्यता:** क्षेत्रीय संस्कृतियों को प्रतिबिंबित करना, जैसे: ***द एलिफेंट व्हिस्परर्स*** को ऑस्कर पुरस्कार मिला।
- **सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित करना और वर्जनाओं को संबोधित करना:** जैसे- पारिवारिक मूल्यों का विकास, महिला सशक्तिकरण (***दुर्गा सहाय***)।
- **सामाजिक परिवर्तन के साधन:** जागरूकता बढ़ाना, दृष्टिकोण निर्माण, शैक्षिक जागरूकता। जैसे: ***निल बटे सन्नाटा***।

भारतीय समाज पर सिनेमा का नकारात्मक प्रभाव

- **लैंगिक मुद्दे:** ऑब्जेक्ट रूप में दिखाया जाना, आक्रामक पुरुषत्व का महिमामंडन, जैसे ***एनिमल***।
- **पारंपरिक मूल्यों को चुनौती:** अंतर्जातीय विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप आदि का चित्रण जन असंतोष का कारण बन सकता है।
- **खराब प्रतिनिधित्व:** LGBTQ+ व्यक्ति, दिव्यांगजनों का स्टीरियोटाइप चित्रण; मादक द्रव्यों का महिमामंडन (***देव डी***); राजनीतिक विभाजन (दुष्प्रचार)।

नियम और कानून

- भारतीय न्याय संहिता (अश्लील कृत्यों को अपराध घोषित करती है)
- स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
- सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952
- भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI - एक स्व-विनियामक संस्था)

> कला केवल यथार्थ का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि एक ऐसा हथौड़ा है, जिससे उसे आकार दिया जाता है।
>
> **— बर्टोल्ट ब्रेख्त**

निष्कर्ष

सिनेमा समाज को आकार देता है। इसे सार्वजनिक संवेदनाओं और संवैधानिक/सामाजिक नैतिकता का सम्मान करते हुए समावेशिता, विविधता एवं सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए विकसित होना चाहिए।

1.4. सामाजिक पहचान (Social Identities)

सामाजिक पहचान का अर्थ **लोगों के उस पक्ष से है जो उन्हें समूह ("हम") से जोड़ते हैं।** यह एक प्रकार का **स्व-वर्गीकरण** है। ये वर्गीकरण आम तौर पर हमें सौंप दिए जाते हैं या हमारे जन्म से निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिए- **जाति, नस्ल, जेंडर, सेक्शुअल ओरिएंटेशन** आदि।

- संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण सामाजिक पहचान में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उदाहरण के लिए, गैर-कृषि गतिविधियों में वृद्धि, गांवों से शहरों की ओर पलायन, आदि।

सामाजिक पहचान और संरचनात्मक बदलावों के बीच संबंध

- **असमानता और हाशियाकरण:** धन और सामाजिक-आर्थिक अवसरों तक पहुँच में असमानताएँ सामाजिक गतिशीलता में बाधा डालती हैं। उदाहरण के लिए, जनजातीय आबादी।
- **राजनीतिक शक्ति:** सत्ता असंतुलन को मजबूत करना या हाशिए पर पड़े लोगों को मंच प्रदान करना। उदाहरण के लिए, जाति-आधारित राजनीतिक दलों का उदय।
- **श्रम बाजार: ऑटोमेशन, AI** कौशल के स्तर, शिक्षा जैसे कारकों के आधार पर श्रम को प्रभावित करता है।

सामाजिक पहचान में समकालीन बदलाव

	सकारात्मक	**नकारात्मक**
जाति	• **सामाजिक उत्थान (गतिशीलता)** में वृद्धि हुई है। • **राजनीतिक लामबंदी** के लिए सामाजिक पहचान का उपयोग किया गया।	• कम वेतन वाली नौकरियों में हाशिए पर पड़ी जातियों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व। • समूह की विचारधारा और बाहरी समूह के प्रति विरोध, जिसके परिणामस्वरूप जाति-आधारित हिंसा और असहिष्णुता में वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ, **ऑनर किलिंग।**
जेंडर	• पुरुषों और महिलाओं में आय अर्जन के स्तर अंतर में कमी, नियमित पारिश्रमिक वाले रोजगार में वृद्धि, थर्ड जेंडर को मान्यता और स्वीकृति आदि।	• ग्रामीण महिला श्रम शक्ति भागीदारी में गिरावट, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, आदि।

आगे की राह

- **नीति और निगरानी,** उदाहरण के लिए **विधानमंडलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण।**
- शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के **अवसरों तक समान पहुंच।**

1.5. पारिवारिक संस्था में बदलाव (Changing Institution of Family)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि **पारिवारिक मूल्य क्षीण हो रहे हैं**, इससे देश **"एक व्यक्ति, एक परिवार"** मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जो कि **"वसुधैव कुटुंबकम"** की भावना के विपरीत है।

भारत में बदलती परिवार संस्था

पहलू	पारंपरिक परिवार	नवीन प्रवृत्तियां
संरचना	**संयुक्त परिवार प्रणाली** जिसमें पीढ़ियां एक ही घर में एक साथ रहती हैं।	मुख्यतः **एकल परिवार**।
निर्णय लेना	**पितृसत्तात्मक पदानुक्रम,** निर्णय **बुजुर्गों द्वारा लिए जाते हैं।**	**अधिक समतामूलक दृष्टिकोण** अपनाया जा रहा है, जहां **पुरुष और महिलाएं मिलकर निर्णय लेते हैं।**
विवाह प्रथाएं	बुजुर्गों द्वारा तय की जाने वाली पारंपरिक विवाह प्रणाली; **वंश और पारिवारिक एकता पर बल।**	**प्रेम विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप** की स्वीकार्यता बढ़ी है।
जीवन मूल्य	सामूहिकता पर बल और परस्पर निर्भरता।	स्वतंत्रता और व्यक्तिवादिता में वृद्धि।

भारतीय परिवार संस्था में बदलाव के कारक

- **आर्थिक कारक:** श्रम बाजार की बढ़ती मांग, शहरी क्षेत्रों में जीवन-यापन की उच्च लागत।
- **लैंगिक भूमिकाओं में परिवर्तन:** घरों में पारंपरिक पितृसत्तात्मक मान्यताओं को चुनौती दी है।
- **पाश्चात्य प्रभाव और वैश्वीकरण:** व्यक्तिवाद और एकल परिवार जैसे पश्चिमी मूल्यों को महत्व।
- **तकनीक** संचार को बढ़ावा देती है लेकिन आमने-सामने की बातचीत और भावनात्मक बंधन को कम करती है।

पारिवारिक संस्था में बदलाव के प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

- सक्रिय पालन-पोषण, माता-पिता और बच्चे के बीच मजबूत बंधन को बढ़ावा देता है
- संघर्ष में कमी और अधिक स्वायत्तता

नकारात्मक प्रभाव

- अंतर-पीढ़ीगत संघर्षों को बढ़ावा मिल सकता है; पारंपरिक मूल्यों का ह्रास हो सकता है।
- विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों में अकेलापन विकसित हो सकता है; सामाजिक बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ सकता है।

आगे की राह

- **समुदाय-आधारित सहायता प्रणालियों को मजबूत करना।** उदाहरण के लिए, केरल का कुदुम्बश्री नेटवर्क।
- **शिक्षा** और **सामाजिक जागरूकता;** सामाजिक सुरक्षा के लिए नीतिगत और कानूनी पहल।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे भारतीय पारिवारिक संरचना विकसित हो रही है, आधुनिक आकांक्षाओं और पारंपरिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक हो गया है।

1.5.1. परिवार-आधारित बाल देखभाल (Family-based Child Care)

हाल ही में, भारत में **संस्थागत बाल देखभाल (Institutional Childcare)** की जगह **परिवार-आधारित बाल देखभाल** (Family-Based Childcare) या रिश्तेदारों द्वारा देखभाल (Kinship Care) की बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है।

'परिवार-आधारित बाल देखभाल या रिश्तेदारी/नातेदारी आधारित देखभाल' के बारे में

इसे **संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देश** द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "ऐसी देखभाल जिसमें बच्चे के **विस्तारित परिवार** (संयुक्त परिवार) या किसी ऐसे करीबी मित्र के संरक्षण में देखभाल की जाती है जिसे बच्चा जानता हो, चाहे देखभाल का यह तरीका औपचारिक हो या अनौपचारिक।"

बाल देखभाल के लिए उठाए गए कदम

- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRC)
- बच्चों की वैकल्पिक देखभाल के लिए दिशा-निर्देश (UNGAC)
- किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015
- **मिशन वात्सल्य:** इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों को **परिवार-आधारित गैर-संस्थागत देखभाल** की सुविधा प्रदान करने को बढ़ावा देना है।

परिवार-आधारित बाल देखभाल के समक्ष चुनौतियां

- कानूनी फ्रेमवर्क का अभाव
- देखभालकर्ताओं को सहायता का अभाव और दस्तावेज़ीकरण का अभाव
- सीमित मानसिकता और जागरूकता की कमी

परिवार-आधारित बाल देखभाल को मजबूत करने के लिए आगे की राह

- देखभाल करने वालों का क्षमता निर्माण और उनको वित्तीय सहायता
- स्थानीय समुदायों को मजबूत करना, उदाहरण के लिए ग्राम बाल कल्याण समितियां
- कानूनी, वित्तीय और संस्थागत सहायता को मजबूत करना

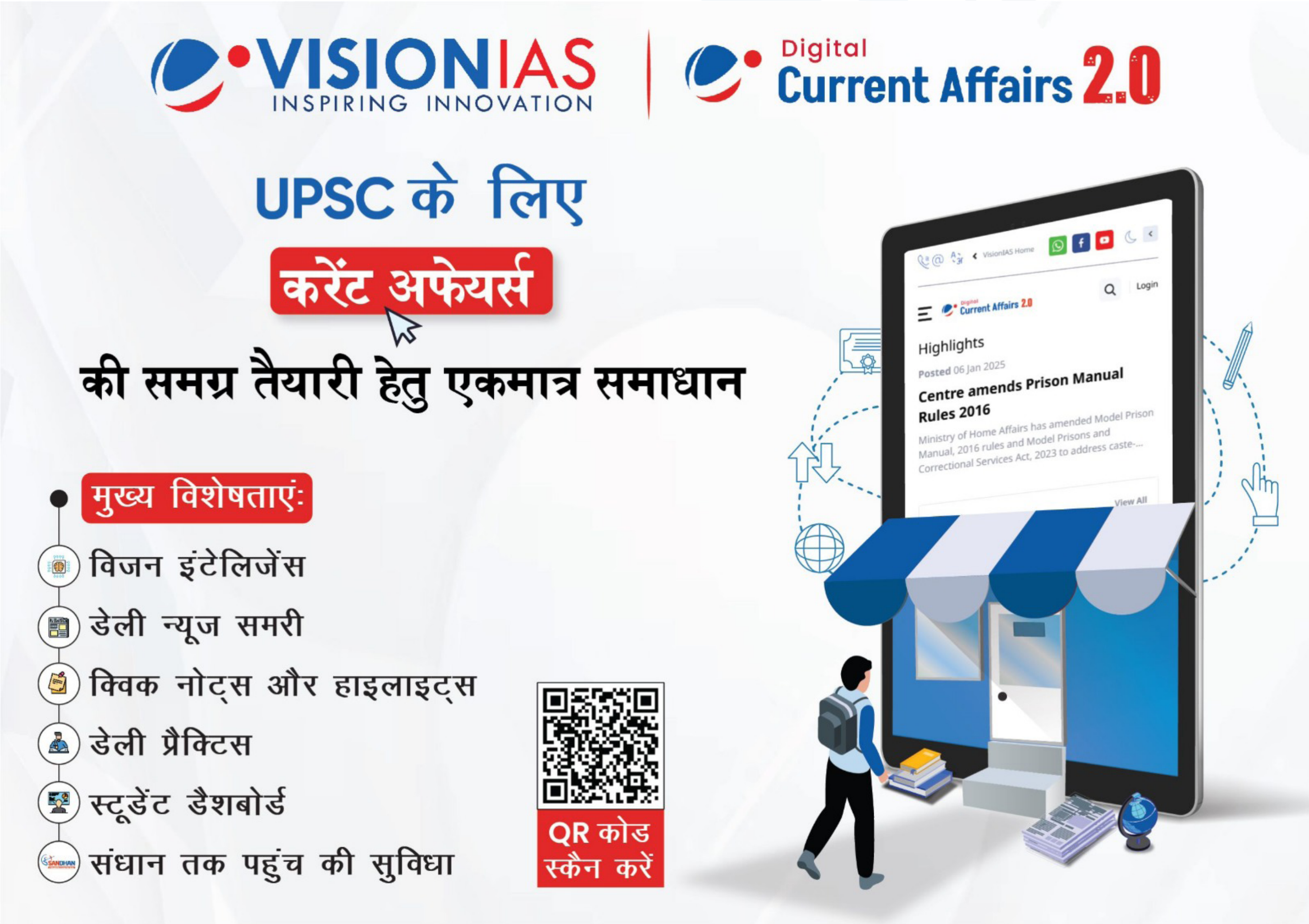

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।
अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची

2. महिलाएं (Women)

2.1. महिलाओं के नेतृत्व में विकास (Women-Led Development)

हाल ही में, **बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन (BPfA)** की 30वीं वर्षगांठ पर, विश्व भर की सरकारों ने महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण पर एक घोषणा-पत्र अपनाया। यह घोषणा-पत्र महिलाओं के नेतृत्व में विकास के सिद्धांत की पुष्टि करता है।

- **महिलाओं के नेतृत्व में विकास:** महिलाएं विकास में अग्रणी, निर्णयकर्ता और नवप्रवर्तक हैं, जो निष्क्रिय प्राप्तकर्ता से सक्रिय एजेंट बन रही हैं।

महत्व

- **महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता** लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए।
- **आर्थिक सशक्तिकरण**, जैसे: लैंगिक अंतराल को पाटने पर सकल घरेलू उत्पाद में 30% की संभावित वृद्धि।
- **ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन,** उदाहरण के लिए, NRLM ने 8.01 करोड़ गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया।

चुनौतियां

- **पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड:** NFHS-5 (2019-21) के अनुसार, केवल 3% महिलाएं ही स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती हैं।
- वैश्विक स्तर पर महिलाओं की औसत साक्षरता दर 79.9% है, जबकि भारत इस मामले में काफी पीछे (62.3%) है।
- **कार्यस्थल पर भेदभाव और जेंडर डिजिटल डिवाइड:** NFHS 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में **प्रत्येक तीन में से केवल एक महिला (33%) ने कभी इंटरनेट का इस्तेमाल** किया है, जबकि **आधे से ज़्यादा पुरुषों (57%)** ने इसका इस्तेमाल किया है।
- **सूक्ष्म लैंगिक भेदभाव:** जैसे रूढ़िवादिता को मजबूत करना, नौकरी/पदोन्नति में अवचेतन पूर्वाग्रह, मातृत्व दंड।

पहल

- **राजनीतिक सशक्तीकरण,** जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023
- **उद्यमिता,** जैसे स्टार्ट-अप इंडिया, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs)
- **आर्थिक सशक्तिकरण** और **लैंगिक बजटिंग,** जैसे प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, लखपति दीदी
- **वैश्विक,** उदाहरण के लिए CEDAW 1979, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

निष्कर्ष

राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधारों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना सतत प्रगति और महिला-नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करता है।

2.2. महिला नेतृत्व वाले स्वयं-सहायता समूह (SHGs): लखपति दीदी {Women-Led Self-Help Groups (SHGS): Lakhpati Didi}

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **11 लाख नई "लखपति दीदियों"** को सम्मानित किया।

लखपति दीदी पहल के बारे में

- 2023 में शुरू की गई **लखपति दीदी पहल** का लक्ष्य **3 करोड़ लखपति दीदियों को सक्षम** बनाना है। लखपति दीदी SHG की एक सदस्य होती है, जो **घरेलू वार्षिक आय के रूप में एक लाख रुपये या उससे अधिक कमाती** है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) की **दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)** के तहत शुरू की गई है।

चुनौतियां

- **सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं:** पितृसत्तात्मक सोच, जातिगत बाधाएं और साक्षरता की कमी।
- **गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और कौशल का अभाव**।
- **क्षेत्रीय असमानताएं:** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा प्रकाशित माइक्रो फाइनेंस की स्थिति रिपोर्ट (2019-20) के अनुसार लगभग 68.56% SHGs दक्षिण भारत में स्थित हैं।

बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

- **पूंजी सहायता** {रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश कोष (CIF)}
- आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY)
- स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम।

महत्व

- **महिला उद्यमिता, सामाजिक पूंजी** और **आर्थिक विकास**, उदाहरण के लिए- **बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों के रूप में महिला SHGs सदस्यों ने महिला SHGs द्वारा लिए गए ऋणों के सकल NPAs को घटाकर 1.6%** करने में सहायता की है।

- **सार्वजनिक सेवा वितरण और गरीबी उन्मूलन,** जैसे मिशन रागी के लिए गुमला में स्वयं सहायता समूह; 65% ग्रामीण स्वयं सहायता समूह सदस्यों की आय में सुधार हुआ। (SBI रिपोर्ट)

आगे की राह

- गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना, प्रौद्योगिकी संबंधी उन्नति को बढ़ावा देना (जैसे, प्रोजेक्ट ई-शक्ति), क्षेत्रीय फोकस को बढ़ावा, निगरानी, मूल्यांकन और सीखने (MEL) पर बल, हितधारकों के साथ समन्वय।

निष्कर्ष

लखपति दीदी महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, ग्रामीण भारत में आर्थिक स्वतंत्रता और समावेशी विकास को बढ़ावा देती हैं।

2.3. बढ़ता हुआ 'मैनोस्फीयर' लैंगिक समानता के समक्ष गंभीर खतरा (Rising Manosphere threatening Gender Equality)

यू.एन. वीमेन ने चेतावनी दी है कि **'मैनोस्फीयर'** के नाम से ज्ञात नेटवर्क लैंगिक समानता के समक्ष एक गंभीर खतरा बनकर उभर रहा है।

मैनोस्फीयर क्या है?

- यह **"ऑनलाइन समुदाय का एक ऐसा नेटवर्क, जो पुरुषत्व (Masculinity) की संकीर्ण और आक्रामक परिभाषा को बढ़ावा"** देता है। यह समुदाय यह झूठा दावा करता है कि **नारीवाद (Feminism) और लैंगिक समानता ने पुरुषों के अधिकारों को नुकसान** पहुंचाया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए करता है।

'मैनोस्फीयर' के बढ़ने के लिए जिम्मेदार कारक

- **मैनोस्फीयर प्रभावकों और एल्गोरिथम प्रभाव में वृद्धि,** उदाहरण के लिए "AWALT: ऑल वीमेन आर लाइक दैट" विचारधारा।
- **असुरक्षा, बढ़ती रूढ़िवादिता** और मान्यता की आवश्यकताएँ, जैसे कि सामाजिक अलगाव, व्यक्तिवाद।
- पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को चुनौती देने वाले **सामाजिक परिवर्तन,** डिजिटल गुमनामी।

नकारात्मक प्रभाव

- **महिलाओं के प्रति बढ़ती घृणा, ऑनलाइन हिंसा** सहित महिलाओं के प्रति सामान्य हिंसा, उदाहरण के लिए, 16-58% महिलाओं/लड़कियों को ऑनलाइन हिंसा का सामना करना पड़ता है।
- **सामाजिक नुकसान:** जोखिम भरे व्यवहार, पुरुषों में अवसाद, लैंगिक समानता में गिरावट।

'मैनोस्फीयर' से निपटने के लिए शुरू की गई पहलें

- **वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलें:** बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (1995), 'मेकिंग ऑल स्पेसेस सेफ' पहल (UNFPA), EU का डिजिटल सर्विसेज एक्ट (यह महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले और लैंगिक भेदभाव वाले कंटेंट पर रोक लगाता है।)
- **भारत में आरंभ की गई पहलें:** स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986, डिजिटल शक्ति (NCW), सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 78 और 79 (महिलाओं का ऑनलाइन उत्पीड़न और उनके साथ साइबरबुलिंग एक अपराध है)

आगे की राह

- **कानूनी उपाय:** जैसे यूनाइटेड किंगडम का **ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम।** इस कानून के तहत साइट्स और ऐप्स को बच्चों एवं महिलाओं को उनके प्रति घृणा फैलाने वाले व अपमानजनक स्त्री-द्वेष कंटेंट सहित हानिकारक कंटेंट से भी बचाना होगा।
- **रोकथाम के रूप में शिक्षा** उदाहरण के लिए, मीडिया साक्षरता।
- **मैनोस्फीयर-विरोधी कंटेंट निर्माताओं को बढ़ावा देना,** उदाहरण के लिए 'HeForShe'

निष्कर्ष

मैनोस्फीयर लैंगिक समानता के लिए खतरा है; इसके लिए बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जैसे कि कानूनी सुरक्षा, मीडिया साक्षरता, समावेशी डिजिटल स्थानों को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल आदि।

2.4. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment of Women at Workplace)

हाल ही में, **न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट** में मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के शोषण, यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता का खुलासा हुआ है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

- **परिभाषा:** यह किसी भी **कार्यस्थल पर अवांछित यौन प्रस्ताव, यौन संबंध की मांग, अथवा यौन प्रकृति के अन्य मौखिक या शारीरिक आचरण** को संदर्भित करता है। (POSH अधिनियम)
  - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, **2022 में देश में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के 419 से अधिक मामले** दर्ज किए गए थे।

- **यौन उत्पीड़न के प्रकार:** किसी लाभ के बदले यौन संबंध (क्विड प्रो क्वो), कार्यस्थल पर अनुचित माहौल (आक्रामक, डराने वाला)।
- **चुनौतियां:** प्रतिशोध के भय के कारण कम रिपोर्ट करना; कंपनियों में ICCs का गठन न होना; अनौपचारिक क्षेत्रक में महिलाओं के लिए सीमित संसाधन होना; जागरूकता की कमी होना आदि।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए शुरू की गई पहलें

- विशाखा दिशा-निर्देश (1997)
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013 (ICC, LCCs)
- यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक-बॉक्स (She-Box)
- महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (CEDAW)

प्रभाव

- **महिला पर प्रभाव:** करियर में व्यवधान, स्वास्थ्य पर प्रभाव (तनाव, चिंता, कम आत्म-सम्मान), महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन (अनुच्छेद 14, 15, 21)
- **कार्यस्थल पर प्रभाव:** दूषित कार्य संस्कृति, उत्पादकता में गिरावट।
- **समाज पर प्रभाव:** लैंगिक असमानता का बने रहना, महिलाओं की कार्यबल में कम भागीदारी, वेतन में लैंगिक अंतराल में वृद्धि।

आगे की राह

- **POSH अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाना:** ऑडिट, कठोर दंड, सुलभ LCCs
- कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना
- **हेमा समिति की सिफारिशें:** सिनेमा में महिलाओं का चरित्र चित्रण, लैंगिक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को फिर से परिभाषित करना, महिलाओं की सहायता के लिए कल्याण कोष का निर्माण करना चाहिए।

निष्कर्ष

महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल उनके अधिकारों, करियर विकास और सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है; इसके लिए POSH अधिनियम के प्रवर्तन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और समावेशी कार्य संस्कृति की आवश्यकता है।

3. बच्चे (Children)

3.1. प्रौद्योगिकी और बच्चे (Technology and Children)

मुख्य आंकड़े

- **71% युवा ऑनलाइन** जुड़े हैं, जबकि 3-17 वर्ष के दुनिया के **दो-तिहाई स्कूली बच्चे इंटरनेट की सुविधा से वंचित** हैं। (UNICEF-ITU रिपोर्ट)
- 14-16 वर्ष के 82% बच्चे **स्मार्टफोन चलाना जानते** हैं; 57% बच्चे इसे **शैक्षिक उद्देश्यों के लिए** उपयोग करते हैं, जबकि **76%** बच्चे इसे **सोशल मीडिया** के लिए इस्तेमाल करते हैं। (ASER 2024)

सकारात्मक प्रभाव

- डिजिटल साक्षरता और कौशल का विकास
- संचार और सामाजिक संबंधों में सुधार
- रचनात्मकता (क्रिएटिविटी) और आत्म-अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिलना

नकारात्मक प्रभाव

- शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर - जैसे आंखों की समस्या, नींद में कमी, लत की प्रवृत्ति
- सामाजिक और विकासात्मक चुनौतियां - जैसे आमने-सामने बातचीत कम होने से सामाजिक कौशल में गिरावट आना
- ध्यान केंद्रित करने की अवधि में कमी और शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर - जैसे "ब्रेन रोट (Brain Rot)"
- अनुपयुक्त कंटेंट और ऑनलाइन खतरों के संपर्क में आना - जैसे साइबर बुलिंग

आगे की राह

नीतिगत उपाय {अभिभावक की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य करना, और उम्र-आधारित सेफ्टी नियमों का पालन सुनिश्चित करना, जैसे: EU की **बेटर इंटरनेट फॉर किड्स (BIK+)** रणनीति}, वास्तविक जीवन में समय बिताने को प्राथमिकता देना, शिक्षा और जागरूकता (डिजिटल कौशल)।

3.2. बच्चों में सोशल मीडिया की लत (Social Media Addiction in Children)

ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पास कर लिया है।

बच्चों में सोशल मीडिया की लत के कारण

- साथियों का प्रभाव (FOMO, लाइक, कमेंट, शेयर से प्रभावित होना)
- तत्काल संतुष्टि (डोपामाइन) एल्गोरिथम-आधारित लगाव
- माता-पिता ("आईपैड किड")
- पलायनवाद (अकेलापन, तनाव)

प्रतिबंध के पक्ष में तर्क

- साइबरबुलिंग (अवसाद, चिंता और आत्महत्या की भावना)
- अत्यधिक स्क्रीन टाइम (शारीरिक गतिविधि में कमी, नींद नहीं आना)
- एकाग्रचित्तता कम होना और सामाजिक कौशल में कमी
- खतरनाक वायरल ट्रेंड जैसे कि "ब्लैकआउट चैलेंज"

प्रतिबंध के विपक्ष में तर्क

- सामाजिककरण/शिक्षण लाभ और प्रतिबंध डिजिटल कौशल सीखने में बाधा डालते हैं
- किशोरों के डार्क वेब पर जाने से प्रतिबंध का अधिक प्रभाव नहीं पड़ना
- अलग-अलग परिपक्वता के कारण अव्यावहारिक आयु सीमाएँ
- प्लेटफ़ॉर्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करना

आगे की राह

- **सेफ्टी आधारित डिज़ाइन:** उदाहरण के लिए, डिफ़ॉल्ट गोपनीयता, हानिकारक सामग्री का पता लगाने के लिए AI
- **डिजिटल कौशल में सुधार:** बच्चों और माता-पिता को जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार, डिजिटल साक्षरता और **स्व-विनियमन के बारे में शिक्षित करना चाहिए।** उदाहरण के लिए, **केरल के डिजिटल डि-एडिक्शन (D-DAD) केंद्र**
- **माता-पिता की भागीदारी/नियंत्रण, तकनीकी हस्तक्षेप** जैसे स्क्रीन समय सीमा, गतिविधि रिपोर्ट।

निष्कर्ष

प्रतिबंध के लाभ तो हैं, लेकिन व्यापक समाधान के लिए प्लेटफॉर्म सुधार, डिजिटल साक्षरता, अभिभावकों की भागीदारी और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

3.3. बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (CHILD SEXUAL EXPLOITATIVE AND ABUSE MATERIAL: CSEAM)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट किया कि **बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) को किसी भी रूप में रखना या देखना 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012'** के तहत एक गंभीर अपराध है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर एक नज़र

- CSEAM अपने पास रखना अपराध है (न केवल भौतिक रूप में रखना बल्कि "कंस्ट्रक्टिव नियंत्रण")
- CSEAM देखने और बाल यौन शोषण के कृत्य में कोई अंतर नहीं है, भले ही ये दोनों व्यावहारिक रूप से अलग हैं।
- "चाइल्ड पोर्नोग्राफी" शब्दावली को "CSEAM" में परिवर्तित किया और POCSO अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया।

सुप्रीम कोर्ट के सुझाव

- किशोर शिक्षा कार्यक्रम, जैसे कि झारखंड में उड़ान कार्यक्रम; POCSO जागरूकता के लिए विशेषज्ञ समिति
- सहायता और पुनर्वास (परामर्श, चिकित्सीय हस्तक्षेप),
- सरकार की भूमिका, जैसे, मीडिया के माध्यम से जागरूकता
- एक दयालु समाज बनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना

CSEAM का प्रभाव

- मनोवैज्ञानिक आघात, उत्पीड़न चक्र (कलंक, शर्म, अपराधबोध) के कारण अमानवीयकरण
- आर्थिक प्रभाव, जैसे शैक्षणिक, रोजगार।

पॉक्सो अधिनियम 2012

- बच्चों को यौन शोषण/दुर्व्यवहार से बचाने वाला व्यापक कानून
- "बच्चे" की परिभाषा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में की गई है।
- यौन उत्पीड़न, उत्पीड़न, अश्लील साहित्य को शामिल करता है।
- 2019 के संशोधन में कठोर दंड (मृत्युदंड) और विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया है।

अन्य उपाय

- **क़ानूनी उपाय**
  - सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000: अश्लील या पोर्नोग्राफिक कंटेंट को ऑनलाइन प्रसारित करने के लिए कठोर दंड के प्रावधान किए गए हैं।
  - किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, (2015),
  - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023),
  - सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021
- **नीतियां और योजनाएं**
  - बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016
  - फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (FTSCs) योजना (2019): फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों में 2023 में लगभग 94% मामलों का निपटान किया गया (भारत बाल संरक्षण रिपोर्ट)।
  - महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम (CCPWC)
- **वैश्विक स्तर पर: संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UN-CRC), 1990 का अनुसमर्थन,**

SDG 16.2, यूट्यूब "चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज इमेजरी (CSA) मैच" नामक एक ऑटोमेटिक टूल का उपयोग करता है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारत में बाल यौन शोषण की रोकथाम से संबंधित कानूनी प्रावधानों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। कोर्ट ने बाल सुरक्षा कानूनों के अधिक मजबूत तरीके से लागू करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

3.4. बाल श्रम (Child Labour)

ILO कन्वेंशन संख्या 182 (बाल श्रम के निकृष्टम रूप) को अपनाने की 25वीं वर्षगांठ वर्ष 2024 में मनाई गई।

बाल श्रम में ऐसे कार्य शामिल हैं जिसे करने के लिए बालक बहुत छोटे होते हैं और/या ऐसे कार्य की प्रकृति या कार्य-दशा बालकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता को नुकसान पहुंचा सकती है।

वर्तमान स्थिति

- दुनिया भर में **लगभग 138 मिलियन (7.8%)** बाल श्रमिक (5-17 वर्ष) हैं (ILO-यूनिसेफ)।

- जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में **10.1 मिलियन बच्चे** बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं।
- **कृषि क्षेत्रक** में सबसे अधिक बाल श्रमिक हैं।
- वर्ष 2025 तक बाल श्रम के उन्मूलन का लक्ष्य (**SDG 8.7**) प्राप्त नहीं किया जा सका है।

बाल श्रम उन्मूलन के प्रावधान

- **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 24 (कारखाने या खदान में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध), अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम (बलात् श्रम) का निषेध, अनुच्छेद 39 (e) (राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश है कि बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो)।
- **नीति, कानून और योजनाएं:**
  - बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986,
  - बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005,
  - राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987,
  - राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) स्कीम, 1988, पेंसिल/ PENCiL पोर्टल
- **वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम:** बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र, 1959, बाल श्रम पर ILO के दो बुनियादी कन्वेंशंस (138 और 182)

बाल श्रम के जारी रहने के कारण

- गरीबी का दुष्चक्र
- कानूनों में निहित खामियों का दुरुपयोग करना: जैसे बाल श्रम अधिनियम में 'परिवार के उद्यम या व्यवसाय में बच्चों के कार्य करने की मनाही नहीं है।
- समाज-संस्कृति में बाल श्रम की स्वीकृति, तथा कम मजदूरी।
- विपदाओं का दुष्प्रभाव: प्रवासन, मानव तस्करी आदि।

आगे की राह

- कानूनों को सही से लागू करना: संबंधित मंत्रालयों के बीच समन्वय करना।
- सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण: गरीब परिवारों को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: सीमा पार तस्करी को रोकने हेतु पड़ोसी देशों (नेपाल, बांग्लादेश) के साथ सहयोग को मजबूत करना, बच्चों के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए दक्षिण एशिया पहल (SAIEVAC) में सक्रिय भागीदारी, आदि।

3.5. बाल विवाह (CHILD MARRIAGE)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **बाल विवाह पर रोक के लिए व्यापक दिशा-निर्देश** जारी किए।

भारत में बाल विवाह की स्थिति (NFHS-5)

- 20-24 वर्ष की आयु की **23.3% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले** हुई है तथा 25-29 वर्ष की आयु के **17.7% पुरुषों की शादी 21 वर्ष की आयु से पहले** हुई है।
- 2006 में बाल विवाह का प्रचलन **लगभग आधा** हो गया है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत दर्ज मामलों की संख्या** 2017 की 395 से बढ़कर 2021 में 1050 हो गई थी।

जिम्मेदार कारक

- गरीबी: लड़कियों को आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाना, दहेज, शिक्षा का अभाव।
- सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताएँ जैसे पारिवारिक सम्मान, कौमार्य सुनिश्चित करना।
- सेफ्टी और सिक्योरिटी का भय, कानूनों को सही से लागू नहीं करना।

दुष्प्रभाव

- **शारीरिक:** उदाहरण के लिए, सर्वेक्षण (NFHS-5) के समय **15-19 वर्ष की आयु की 6.8% महिलाएं या मां बन चुकी थीं या गर्भवती** थीं।
- **विकासात्मक:** कम शिक्षा और जीवन कौशल, श्रम बल में कम भागीदारी
- मानवाधिकार उल्लंघन, वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape), मनोवैज्ञानिक प्रभाव, वैश्विक प्रभाव (सतत विकास लक्ष्य-5)

बाल विवाह रोकने हेतु उठाए गए कदम

- **भारत में:**
  - 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (PCMA), 2006'

    - योजनाएं और कार्यक्रम: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, चाइल्डलाइन
    - राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), नागरिक समाज की भूमिका
- **वैश्विक पहलें:** संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन, बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्रवाई में तेजी लाने हेतु वैश्विक कार्यक्रम।

आगे की राह (सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश)

- **कानून प्रवर्तन:** विशेष पुलिस इकाई, बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO)
- **न्यायिक उपाय:** मजिस्ट्रेट की स्वप्रेरणा से कार्रवाई, विशेष त्वरित न्यायालय
- **सामुदायिक भागीदारी,** जैसे "बाल विवाह मुक्त गाँव" पहल, खुले में शौच से मुक्ति (ODF) जैसे प्रमाणन के लिए।
- **लैंगिकता/अधिकारों के बारे में जागरूकता** और क्षमता निर्माण, शिक्षा, श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण
- **प्रौद्योगिकी,** उदाहरण के लिए केंद्रीकृत रिपोर्टिंग पोर्टल, 'बाल विवाह मुक्त भारत' पोर्टल
- **वित्तपोषण:** समर्पित बजट आवंटन, JJ फंड

निष्कर्ष

कुशल कानून प्रवर्तन, समुदाय/नागरिक समाज की भागीदारी, और अभिभावकों को जागरूक करना उन्मूलन की कुंजी हैं। उदाहरण के लिए, असम की 'निजुत मोइना' योजना।

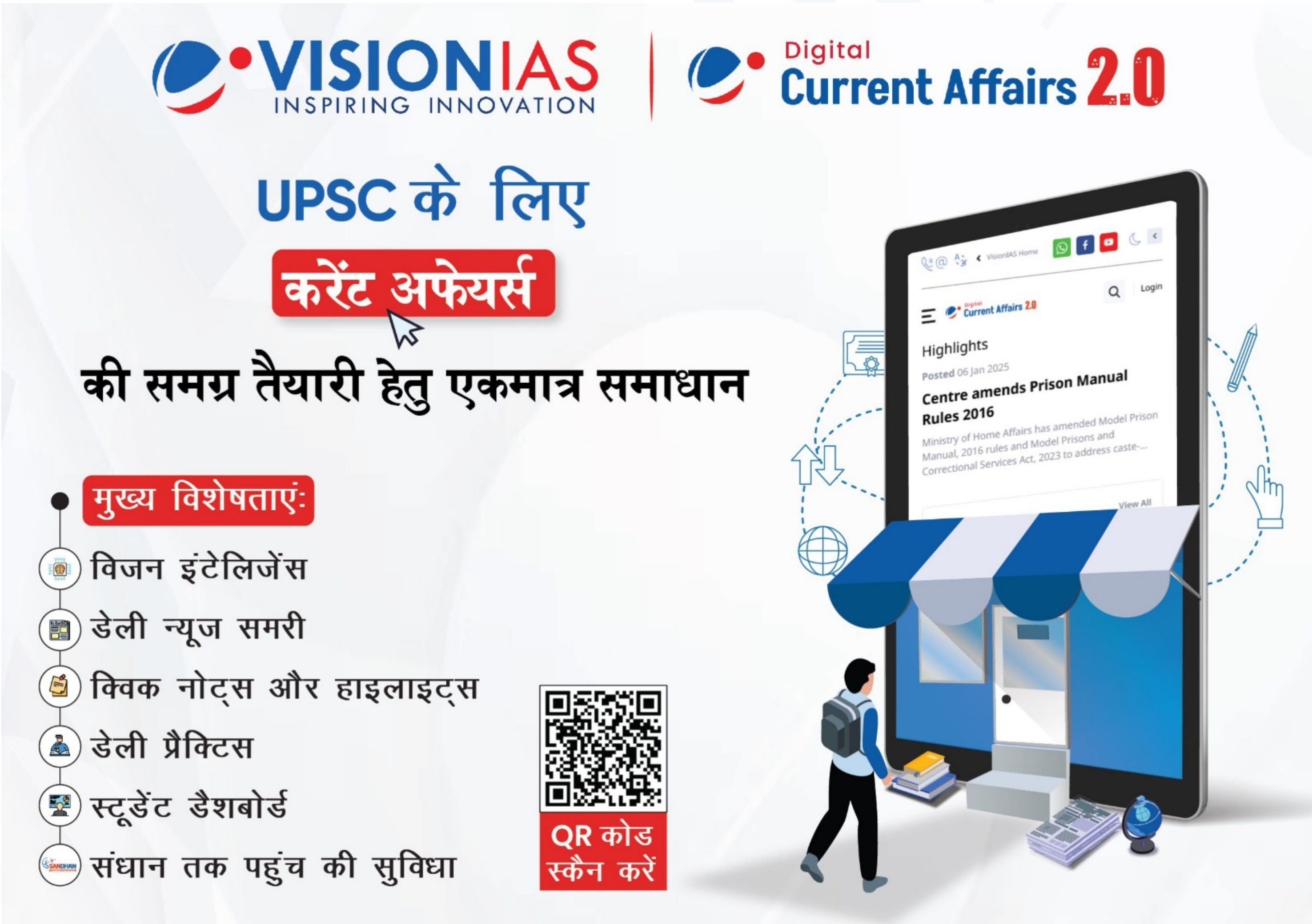

VISION IAS INSPIRING INNOVATION

wwww.visionias.in

8468022022, 9019066066

VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए

करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है।

PT365 की विशेषताएं

व्यापक कवरेज

- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे– राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी

- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट

QR आधारित स्मार्ट क्विज

- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स

- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझाने के लिए अलग–अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

सरकारी योजनाएं और नीतियां

- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।

नया क्या है?

- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

PT 365 का महत्त्व

रिविजन में आसानी: कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।

वैल्यू एडिशन: इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्ख़ियाँ शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्प मटेरियल: आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।

इंटीग्रेटेड एप्रोच: UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।

और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

4. अन्य सुभेद्य समूह (OTHER VULNERABLE SECTIONS)

4.1. भारत में जनजातीय जनसंख्या (Tribal Population in India)

जनजातीय समुदाय **विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान** वाले समूह होते हैं, जो **अपने निवास स्थान की भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से गहरा पैतृक और सामूहिक संबंध** रखते हैं। उदाहरणस्वरूप: माओरी, इनुइट आदि।

वर्तमान स्थिति

- 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की आबादी 10.45 करोड़ (कुल जनसंख्या का 8.6%) थी।
- **अनुसूचित जनजातियों की 40.6% आबादी गरीबी रेखा से नीचे** जीवन यापन कर रही है। (ट्राइबल हेल्थ रिपोर्ट)
- **75 'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)';** कृषि युग से पहले की तकनीक, कम साक्षरता, आर्थिक पिछड़ापन, स्थिर/घटती जनसंख्या।

समस्याएं

- पहचान खोने का संकट
- जबरन विस्थापन और जलवायु सुभेद्यता
- **निम्न साक्षरता दर:** अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर केवल 59% है, जबकि देश की समग्र साक्षरता दर 73% है (जनगणना 2011)।
- **स्वास्थ्य:** आनुवंशिक विकार (SCD), तिहरा स्वास्थ्य बोझ (कुपोषण, संचारी/गैर-संचारी रोग, मानसिक बीमारी/लत)

संवैधानिक उपाय

- **अनुच्छेद 342:** अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधिसूचना
- **अनुसूची V और VI** (अनुच्छेद 244)
- **अनुच्छेद 275:** अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान
- **अनुच्छेद 338A:** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

कल्याणकारी उपाय

- **कानूनी उपाय:** पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- **सरकारी योजनाएं:** एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), प्रधान मंत्री वनबंधु विकास योजना, प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY), प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

आगे की राह (जनजातीय विकास के लिए पंचशील सिद्धांत)

- PVTG की समस्याओं की पहचान और आकलन
- अधिकार आधारित विकास (स्वतंत्र, पूर्व, सूचित सहमति)
- भागीदारी आधारित अभिशासन
- संस्कृति के प्रति संवेदनशील सेवाएँ (स्वास्थ्य देखभाल)
- उपयोगी शिक्षा (आदिवासी भाषाओं में पाठ्यक्रम)

4.1.1. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan)

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए **"धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान"** का शुभारंभ किया।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों तक योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करना है।
- योजना अवधि: 5 साल (2024-25 से 2028-29)
- सम्पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण; पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मानचित्रण/निगरानी।

मिशन के लक्ष्य

- सक्षमकारी अवसंरचना का विकास करना (पक्का मकान, पानी, बिजली, सड़क, मोबाइल/इंटरनेट)
- आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा (कौशल विकास, उद्यमिता, आजीविका, TMMC)
- सभी को अच्छी शिक्षा {सकल नामांकन अनुपात (GER) को बढ़ाना, जनजातीय छात्रावासों की स्थापना}

- स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक वृद्धावस्था (गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, टीकाकरण, SCD निदान)

प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA) के तहत शुरू की गई नई योजनाएं: 1,000 होम स्टे, वन अधिकार धारकों (FRA) को स्थायी आजीविका, पी.एम.-श्री विद्यालयों की तर्ज पर आश्रम विद्यालय, सिकल सेल रोग (SCD) के निदान के लिए सक्षमता केंद्र (CoC), 100 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (TMMC) स्थापित किए जाएंगे।

निष्कर्ष

पीएम-JUGA जनजातियों के बीच अंतराल को पाटने और समावेशी विकास हासिल करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण (बुनियादी ढांचा, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा) प्रदान करता है।

4.2. अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार (ATROCITIES AGAINST SCHEDULED CASTES)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कई राज्यों की इस विफलता पर चिंता व्यक्त की है कि वे अनुसूचित जातियों (SCs) के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने में विफल रहे हैं।

- **परिभाषा:** अनुसूचित जातियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है (अनुच्छेद 341), संसद सूची में संशोधन कर सकती है।

अनुसूचित जातियों (SCs) की स्थिति

- अनुच्छेद 342 (अनुसूचित जनजाति अधिसूचना)
- अनुसूची V और VI (अनुच्छेद 244)
- अनुच्छेद 275 (विशेष निधि)
- अनुच्छेद 338A (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)

जाति आधारित अत्याचारों से निपटने के लिए तंत्र

- **विधायी प्रावधान:** अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम, 1996, वन अधिकार अधिनियम (FRA) (2006), SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989)।
- **सरकारी योजनाएं:** एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), पीएम वनबंधु विकास योजना, पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY), पीएम खनिज क्षेत्र कल्याण योजना।

अनुसूचित जातियों (SCs) के निरंतर उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार कारक

- सरकार के स्तर पर निश्चिंतता, अलग सुरक्षा प्रकोष्ठ का अभाव, पुलिस की उदासीनता, अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत एवं पुनर्वास का अभाव।
- भू-स्वामित्व नहीं होना, बंधुआ मजदूरी, या न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किया जाना, लगभग 34% अनुसूचित जाति आबादी गरीबी रेखा के नीचे है।
- बढ़ती राजनीतिक जागरूकता, इसकी वजह से समाज के प्रभुत्व वाली जातियों के साथ प्रतिद्वंद्विता बढ़ी है, जाति से जुड़े परंपरागत कार्यों को करने से इंकार करना।
- कानूनी तंत्र को लागू करने में विफलता (498 जिलों में केवल 194 विशेष अदालतें)

सशक्तीकरण हेतु पहलें

- **शिक्षा**: श्रेयस/SHREYAS, SHRESHTA योजना, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए NOS योजना
- **आर्थिक सशक्तीकरण और उद्यमिता:** अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना, PM-AJAY, NSFDC, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन (ASIIM)
- **हाथ से मैला उठाने की प्रथा का उन्मूलन:** नमस्ते/ NAMASTE योजना

आगे की राह

- कल्याणकारी योजनाओं के लिए परिमाणात्मक लक्ष्यों के साथ निधियों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना चाहिए।
- सबसे गरीब अनुसूचित जाति के परिवारों की पहचान करना (श्रेयस/SHREYAS) और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना (पीएम-दक्ष/ DAKSH)
- सरकारी अधिकारियों, पुलिस, न्यायपालिका को जाति-संवेदनशीलता का प्रशिक्षण देना चाहिए।

निष्कर्ष

सुरक्षा के बावजूद, अनुसूचित जातियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है; इसके लिए राज्य की उचित जवाबदेही, निधि का लक्षित उपयोग और विस्तारित कौशल विकास की आवश्यकता है।

4.3. दिव्यांगजन (PWDs) {Persons with Disability (PwDs)}

दिव्यांगजन से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है, जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी-तंत्र की हानि से पीड़ित है और जिसे सामान्य जीवन में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वह दूसरों की तरह समान आधार पर समाज में अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में अक्षम होता है।

भारत में वर्तमान स्थिति

- कुल आबादी में दिव्यांगजनों का हिस्सा **2.1%** है।
- दिव्यांगजनों में **44% महिलाएं** हैं, **69%** दिव्यांगजन **ग्रामीण क्षेत्रों** में रहते हैं, **55%** दिव्यांगजन **निरक्षर** हैं।

चुनौतियां

- रूढ़िवादिता और सामाजिक कलंक अधिकारों और अवसरों तक पहुँचने में सामाजिक बाधाएं पैदा करते हैं।
- नीतिगत बाधाएं और जागरूकता की कमी।
- सार्वजनिक स्थानों पर पहुँच में बाधा।
- नेत्रहीन/बधिर आदि के लिए संचार संबंधी चुनौतियां।
- गरीबी और दिव्यांगता एक-दूसरे को पोषित करते हैं।

पहलें

- **कानूनी प्रावधान:** 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, RPD अधिनियम (2016) (सरकारी रोजगार और शिक्षा में क्रमशः 4% और 5% आरक्षण की व्यवस्था)।
- **नीतियाँ:** NEP (2020), दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय नीति (2006)।
- **'दिव्यांगजन' के रूप में संबोधित करना:** कलंक को दूर करता है।
- **योजनाएं:** ADIP, DDRS, NDFDC, सुगम्य भारत अभियान।
- **वैश्विक:** UNCRPD, बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, इंचियोन रणनीति।

आगे की राह

- प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप
- डेटा संग्रह, सामाजिक सुरक्षा, सहायक देखभाल में सुधार
- 'हमारे बारे में कुछ नहीं, हमारे बिना कुछ नहीं' ('Nothing about us, without us) सिद्धांत के आधार पर नीतियों का निर्माण करना चाहिए।

4.3.1. दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 {Rights of Persons With Disabilities (RPWD) Act, 2016}

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह **दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016** के तहत दिव्यांगजनों की सार्वजनिक स्थलों और सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य नियम बनाए।

निर्णय से जुड़े मुख्य बिंदु

- **सुगम्यता के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण** मानवीय और मूल अधिकार है।
- **दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल:** सामाजिक परिवर्तन को सक्षम करने के लिए सामाजिक बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **विधायी अंतराल को भरने की आवश्यकता:** 2017 के नियम 15(1) को अधिकारहीन घोषित किया गया (अनिवार्य रूप से अनुपालन की भावना के अनुरूप नहीं)
- RPwD, 2016 की **धारा 40** के तहत सार्वभौमिक डिजाइन, व्यापक समावेशन, सहायक प्रौद्योगिकी मानकों को तैयार करना अनिवार्य किया गया है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- दिव्यांगजनों को परिभाषित करता है, 21 विकलांगताओं को मान्यता देता है (एसिड अटैक पीड़ित, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी आदि)
- सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य (उचित जीवन स्तर के आधार पर)
- **संस्थाएं:** राष्ट्रीय/राज्य निधि, मुख्य आयुक्त/आयुक्त, केंद्रीय/राज्य सलाहकार बोर्ड, विशेष न्यायालय/लोक अभियोजक।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अनिवार्य पहुँच सुनिश्चित करता है, सामाजिक मॉडल दृष्टिकोण के माध्यम से दिव्यांगता अधिकारों को कायम रखता है।

4.4. वरिष्ठ नागरिक-देखभाल (Senior-care)

वर्तमान स्थिति

- जनसंख्या (60+) का लगभग 10% (104 मिलियन), 2050 तक 20% से अधिक हो जाएगा (UNFPA 2023)।
- 2020 में 60+ की वैश्विक जनसंख्या 1 बिलियन थी, जो 2050 तक 2.1 बिलियन तक पहुंच जाएगी।

- 2050 तक दो-तिहाई बुजुर्ग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रह रहे होंगे।

चुनौतियाँ

- स्वास्थ्य (वृद्ध देखभाल का अभाव)
- सामाजिक (ग्रामीण-शहरी असमानताएँ, लैंगिक असमानताएँ, बुजुर्गों के अनुकूल अपर्याप्त बुनियादी ढांचा)
- आर्थिक निर्भरता (70% बुजुर्ग परिवार पर निर्भर हैं), डिजिटल निरक्षरता
- अविकसित देखभाल अर्थव्यवस्था (कम मूल्यांकित/कम वेतन वाली देखभाल नौकरियाँ)

विधायी प्रावधान

- **संवैधानिक:** अनुच्छेद 41 (वृद्धावस्था में सार्वजनिक सहायता का अधिकार), 7वीं अनुसूची (वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा)।
- **विधायी/नीति:** माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम (2007), NALSA योजना (2016), NPOP (1999), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना (IGNOAPS, IGNDPS)

पहलें

- **भारतीय:** प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (2015), अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY), राष्ट्रीय वयोश्री योजना (2017), SACRED पोर्टल, SAGE पहल, सुगम्य भारत अभियान।
- **वैश्विक:** संयुक्त राष्ट्र मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग (2002), विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक रणनीति (2016-20), संयुक्त राष्ट्र स्वस्थ वृद्धावस्था दशक (2021-30), जापान का "स्वस्थ जापान 21 कार्यक्रम"

आगे की राह

- स्वस्थ आयुर्वृद्धि और सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा देना
- स्वास्थ्य सशक्तिकरण (वृद्धों की देखभाल, निवारक स्वास्थ्य सेवा)
- सामाजिक सशक्तिकरण ('बुजुर्गों के लिए बुजुर्ग' मॉडल, सामुदायिक जागरूकता)
- आर्थिक सशक्तिकरण (पुनः कौशल विकास, पेंशन)

4.4.1. अंतर-पीढ़ीगत संवाद की कमी (INTER-GENERATIONAL COMMUNICATION GAP)

हेल्पएज इंडिया द्वारा जारी **'अंडरस्टैंडिंग इंटर-जेनेरशनल डायनामिक्स एंड पर्सेप्शंस ऑन एजिंग'** रिपोर्ट में बताया गया है कि हालिया जनसांख्यिकीय बदलाव और परिवर्तित पारिवारिक संरचनाओं ने पीढ़ियों के बीच के संबंधों को गहराई से प्रभावित किया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- वृद्धावस्था के बारे में नकारात्मक धारणाएं, उदाहरण के लिए, बुज़ुर्ग वृद्धावस्था को नकारात्मक भावना से जोड़ते हैं।
- युवा बुजुर्गों के भावनात्मक संकट और भावनात्मक अलगाव को कम आंकते हैं।
- डिजिटल विभाजन: केवल 41% बुजुर्गों के पास स्मार्टफोन हैं, 13% सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं।
- डिजिटल शिक्षण चुनौतियां: युवा बुजुर्गों को उदासीन/भुलक्कड़ समझते हैं; बुजुर्ग युवाओं की अधीरता/जल्दबाजी में दिए गए स्पष्टीकरण का हवाला देते हैं।
- बुढ़ापे से जुड़े डर (जैसे, अकेलापन, खराब स्वास्थ्य, वित्तीय असुरक्षा), परिवार की देखभाल को प्राथमिकता, छोटे शहरों में मजबूत रिश्ते।

पीढ़ियों के बीच संवाद में रुकावट के कारण

- पीढ़ीगत अंतर धारणा सूचकांक: उम्र के बजाय शिक्षा, निर्भरता और भावनात्मक दूरी से प्रभावित दूरी।
- संचार बाधाएं (युवाओं का व्यस्त जीवन)
- विषय और रिश्तों के अनुसार सहजता का स्तर अलग-अलग होता है।

पहलें

- पाठ्यक्रम में वृद्धावस्था के प्रति संवेदनशीलता, युवाओं के लिए प्रशिक्षण पहल, जैसे "डिजिटल बडी" कार्यक्रम
- समुदाय-आधारित वृद्ध सहायता केंद्र, अंतर-पीढ़ी कार्यक्रम, जैसे "विजडम एक्सचेंज"

निष्कर्ष

व्यस्त जीवन/डिजिटल विभाजन के कारण अंतराल बना हुआ है; सहानुभूति शिक्षा और समुदाय-आधारित आदान-प्रदान के माध्यम से इसे पाटा जा सकता है।

4.5. हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा (Manual Scavenging)

सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने **डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2023) मामले** में 'हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा यानी मैनुअल स्कैवेंजिंग' पर जारी किए गए अपने प्रत्येक दिशा-निर्देश पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

- केंद्र सरकार हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा (जैसे रेलवे) के चरणबद्ध उन्मूलन के लिए नीतियां बनाएगी।
- श्रमिकों/मृतकों के लिए पूर्ण पुनर्वास (जैसे रोजगार, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण)
- बढ़ा हुआ मुआवजा (सीवेज की सफाई के दौरान मृत्यु हो जाने पर 30 लाख रुपये, सीवेज की सफाई के दौरान दिव्यांग होने की स्थिति में 20 लाख रुपये)
- हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान के लिए एक वर्ष के भीतर राष्ट्रीय सर्वेक्षण
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, केंद्र सरकार समितियों, प्रशिक्षण मॉड्यूल, पोर्टल/डैशबोर्ड की स्थापना में समन्वय करेंगे।

मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में

- हाथ से मैला उठाने हेतु व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (PEMSR) अधिनियम, 2013 के अनुसार,:
  - **मैनुअल स्कैवेंजिंग** से तात्पर्य किसी व्यक्ति को अस्वच्छ शौचालय या शुष्क शौचालय में या खुले नाले या गड्ढे में या रेलवे ट्रैक आदि पर मानव मल को हाथ से हटाने, उठाने या किसी भी तरीके से उसके निपटान के लिए नियोजित करना है।
- 1993 से प्रतिबंधित, यह एक संज्ञेय/गैर-जमानती अपराध है।
- 775 जिलों में से 456 में अब मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं है (जनवरी 2025)

इस कुप्रथा को जारी रखने के लिए उत्तरदायी कारक

- हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा पर कम डेटा उपलब्ध होना
- सांस्कृतिक प्रतिरोध {97% से अधिक मैनुअल स्कैवेंजर्स अनुसूचित जाति के थे। (2021)}
- उचित विनियमन का अभाव/कानूनों का सही से लागू नहीं होना
- सीवर का डिजाइन सही नहीं होना

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **योजनाएं: नेशनल एक्शन फॉर मेकेनाइज़्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते/NAMASTE योजना) 2023,** स्वच्छ भारत मिशन (शहरी 2.0)
- **विशेष संस्थाएं**: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम (1997)

आगे की राह (NHRC की सिफारिशें)

- सफाई कर्मचारियों/हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर करना।
- डी-स्लेजिंग बाज़ार को सूचीबद्ध/विनियमित करना, सुरक्षा उपकरण/जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित करना।
- तकनीकी नवाचारों, तकनीकी हस्तक्षेप (स्वचालित मशीनें, रोबोट, जैसे केरल का बैंडिकूट) के लिए वित्तीय सहायता।
- सफाई के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और समय-समय पर सर्वेक्षण/पहचान सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा को समाप्त करने और श्रमिकों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश और तकनीकी हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हैं।

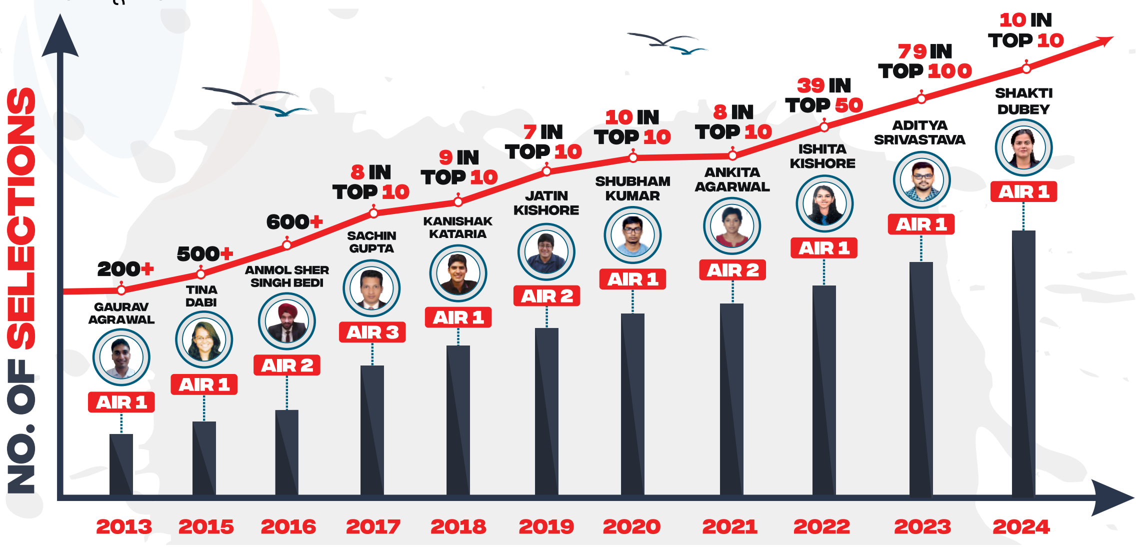

5. शिक्षा (EDUCATION)

5.1. स्कूली शिक्षा (School Education)

वर्तमान स्थिति

- सकल नामांकन अनुपात (GERP): प्राथमिक: 93%, माध्यमिक: 77.4%, उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 11-12): 56.2%
- ड्रॉपआउट दर (प्राथमिक: 1.9%, माध्यमिक: 14.1%)
- स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष: 13 वर्ष (UNDP की 2025 मानव विकास रिपोर्ट)
- खराब लर्निंग आउटकम: सीखने के परिणामों में सुधार के बावजूद, पांचवी कक्षा के आधे से अधिक छात्र अपने से दो ग्रेड नीचे का बुनियादी पाठ भी नहीं पढ़ पाते (ASER, 2024)।

मुद्दे

- खराब शिक्षाशास्त्र (Poor pedagogy)
- अध्ययन से जुड़ी चिंताएं (योग्य शिक्षकों का अभाव, शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्यों में लगाना)
- मूलभूत सुविधाओं की कमी

आगे की राह

- एक्सचेंज प्रोग्राम (छात्र और शिक्षक)
- स्कूलों को गोद लेना (निजी क्षेत्रक CSR मॉडल के माध्यम से)
- शिक्षण पद्धति को नया स्वरूप देना: अनुभवात्मक शिक्षा, जैसे- कला-युक्त शिक्षा
- शिक्षक प्रशिक्षण (फेस-टू-फेस पद्धति से, न्यायमूर्ति वर्मा समिति, 2012)
- सतत मूल्यांकन {फीडबैक के आधार पर सुधार के साथ CBSE की सतत और व्यापक मूल्यांकन (CCE) प्रणाली को लागू करना चाहिए}

5.2. त्रिभाषा फॉर्मूला (Three-Language Formula)

कुछ राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के त्रिभाषा फॉर्मूला का विरोध किया जा रहा है।

त्रिभाषा फॉर्मूला नीति का विकासक्रम

- संवैधानिक प्रावधान: भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए मातृभाषा में शिक्षा (अनुच्छेद 350A), और हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश (अनुच्छेद 351)।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर त्रि-भाषा सूत्र को अपनाया गया।
- कार्य योजना 1992: इसमें यह प्रावधान किया गया था कि प्री-स्कूल स्तर पर मातृभाषा/ क्षेत्रीय भाषा को बातचीत का माध्यम होना चाहिए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: कक्षा 5 तक शिक्षण माध्यम के रूप में मातृभाषा/घरेलू भाषा और तीन भाषाओं में से दो भारतीय होंगी।

त्रिभाषा फॉर्मूला के लिए तर्क

- संवैधानिक अधिदेश को पूरा करता है
- बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है: पहुंच को व्यापक बनाता है, संज्ञानात्मक क्षमताओं में सुधार करता है, यूनेस्को रिपोर्ट
- सांस्कृतिक महत्व (बहुसंस्कृतिवाद, राष्ट्रीय एकता)।

त्रिभाषा फॉर्मूला के विपक्ष में तर्क

- राजनीतिकरण (भूमिपुत्र विरोध प्रदर्शन)
- विकल्प बनाम थोपना
- प्राथमिक छात्रों पर अत्यधिक बोझ
- कार्यान्वयन चुनौतियां (योग्य शिक्षक, बुनियादी ढांचा, विविध भाषाएँ)
- AI अनुवाद आवश्यकता को कम करता है

बहुभाषावाद को बढ़ावा देने वाली पहल: ASMITA/अस्मिता, बहुभाषा शब्दकोष, वास्तविक समय अनुवाद वास्तुकला (NEFT), भारतीय भाषा पुस्तक योजना, भाषिनी।

आगे की राह

- शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता देना (राजनीतिकरण से बचना, शिक्षण/अधिगम में सुधार करना)
- सहकारी संघवाद को मजबूत करना

- यूनेस्को के बहुभाषी शिक्षा दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करना: डेटा-संचालित नीति, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन, योग्य शिक्षक, सामुदायिक भागीदारी।

निष्कर्ष

त्रिभाषा फार्मूला बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है, लेकिन इसके सामने चुनौतियां भी हैं; इसके लिए गैर-राजनीतिकरण, शिक्षक प्रशिक्षण और लचीले राज्य-विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

5.3. लर्निंग आउटकम (Learning Outcomes)

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 तथा **स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+) 2023-24 रिपोर्ट** जारी की गईं। इनमें भारत में स्कूली शिक्षा के लर्निंग आउटकम यानी बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शनों को रेखांकित किया गया है।

लर्निंग आउटकम्स की स्थिति (ASER 2024)

- **कोविड-काल के बाद शिक्षण व्यवस्था वापस पटरी पर आना** (पठन/अंकगणित में सुधार)
- **36.2% छात्रों** के पास स्मार्टफोन है, जबकि केवल **26.9% छात्राओं** के पास स्मार्टफोन है।
- केवल **57% किशोर/ किशोरियां** शैक्षिक या पढ़ाई के उद्देश्य से स्मार्ट डिवाइस का उपयोग करते हैं, जबकि लगभग **76%** सोशल मीडिया के लिए इसका उपयोग करते हैं।

लर्निंग आउटकम में सुधार के कारण

- नीतिगत सुधार: नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 पाठ्यक्रम; दिल्ली का "हैप्पीनेस करिकुलम"।
- मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) पहलें: निपुण भारत, ULLAS जैसी पहलों ने शैक्षिक प्रदर्शनों में सुधार सुनिश्चित किया है।
- शिक्षा का डिजिटलीकरण: पीएम ई-विद्या, दीक्षा, स्वयं प्रभा टीवी चैनल जैसी पहलों से डिजिटल शिक्षण सामग्रियों की प्राप्ति आसानी हो गई है। कंप्यूटर सुविधा वाले स्कूलों का प्रतिशत बढ़ गया (UDISE+ रिपोर्ट)।
- अन्य कारण: अभिभावकों की निरंतर भागीदारी, मातृभाषा आधारित शिक्षा, स्थानीय समुदाय की भागीदारी (जैसे पठन क्लब), और सरकारी विद्यालयों में निरंतर निवेश।

चुनौतियां

- सामाजिक-आर्थिक असमानताएं: असमान पहुँच, लैंगिक प्राथमिकता।
- अपर्याप्त आधारभूत संरचना एवं संसाधन आवंटन: 2023 में भारत में शिक्षा पर सरकारी व्यय जीडीपी का मात्र 3.1% रहा, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य 6% है।
- गुणवत्ता की कमी: शिक्षण में दक्षता की कमी (प्रशिक्षण की कमी, शिक्षकों की कमी) के साथ-साथ पाठ्यक्रम और पढ़ाने की तकनीक में खामियाँ मौजूद हैं।
- रटंत और परीक्षा-केंद्रित पद्धति।
- सरकारी स्कूलों की समस्याएं: प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति।

आगे की राह

- सुधारों को बनाए रखना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा रखना, जैसे गोवा की AI-आधारित सुधार प्रणाली, ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण।
- "हार्डवेयर" (भौतिक/डिजिटल अवसंरचना, ज्ञान तक पहुँच) में सुधार।
- "सॉफ्टवेयर" (शिक्षण पद्धति, शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, संवाद की गुणवत्ता) में सुधार।

निष्कर्ष

सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना NEP 2020 और NCF 2023 की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य समग्र, अनुभवात्मक, मूल्य-आधारित शिक्षा है।

5.4. भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा (Quality Higher Education in India)

नीति आयोग ने **'राज्यों और राज्य सरकारी विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का विस्तार'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

भारत में उच्चतर शिक्षा की स्थिति (AISHE रिपोर्ट 2021-2022 के अनुसार)

- GER बढ़कर 28.4% हो गया (NEP 2020 का लक्ष्य 2035 तक 50% है), लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) सुधरकर 1.01 हो गया,
- वित्त पोषण: विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 0.62%, समग्र तृतीयक शिक्षा के लिए 1.57%

चुनौतियाँ

- अकुशल मान्यता (केवल 39% मान्यता प्राप्त),
- वित्तीय अंतर (अमेरिका की तुलना में प्रति व्यक्ति खर्च 35 गुना कम),

- अपर्याप्त अनुसंधान (कम अनुसंधान एवं विकास, प्रोत्साहनों का अभाव),
- नीति एवं शासन संबंधी मुद्दे (कमजोर MERU, CSR पर कर का बोझ, सीमित स्वायत्तता),
- क्षेत्रीय असमानताएं (सिक्किम में उच्च घनत्व, बिहार में कम; दक्षिणी राज्य GER में अग्रणी)।

प्रमुख पहल

- बजट 2025-26 (PMRF, IIT सीटें, भारतीय भाषा की पाठ्यपुस्तकें),
- मूल्यांकन एवं रैंकिंग (NIRF 2015),
- बुनियादी ढांचा (HEFA, NDEAR 2021, PM-USHA),
- अनुसंधान एवं विकास (ANRF, SPARC, ONOS, PAIR कार्यक्रम),
- रोजगार योग्यता (NCrF, PM इंटर्नशिप योजना)।

आगे की राह

- वित्तपोषण (तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज (TASK)),
- शासन (नियामक-सुविधा प्रदाता मॉडल, स्वायत्तता),
- बुनियादी ढांचा (ओडिशा का OHEPEE),
- डिजिटलीकरण (केरल की 'लेट्स गो डिजिटल' पहल),
- अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार (राष्ट्रीय अनुसंधान नीति, संकाय क्षमता, गिफ्ट सिटी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीयकरण, उद्योग सहयोग, इनक्यूबेशन केंद्र)।

निष्कर्षः GER/लैंगिक समानता में प्रगति हुई है, लेकिन वित्त पोषण, अनुसंधान, बुनियादी ढांचे, स्वायत्तता और उद्योग सहयोग के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

5.4.1. क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन (Performance of Indian Universities in QS World University Rankings)

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय शिक्षण संस्थानों की संख्या और रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है।

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में

- लंदन स्थित वैश्विक उच्चतर शिक्षा विश्लेषण संस्था **क्वाक्वारेल्ली साइमंड्स (QS)** द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। पाँच मूल्यांकन मापदंड- शोध एवं नवाचार, रोजगारपरकता एवं आउटकम, वैश्विक सहभागिता, लर्निंग अनुभव, सततता।

रैंकिंग के मुख्य बिंदु

- पाँच गुना वृद्धि (इस रैंकिंग में भारत की संस्थाओं की संख्या 2015 की 11 से बढ़कर 2026 में 54 हो गई)।
- इस रैंकिंग में अब अमेरिका, यूके और चीन के बाद चौथा सर्वाधिक संस्थान भारत के हैं।
- IITs का दबदबा (IIT दिल्ली को वैश्विक स्तर पर 123वाँ स्थान प्राप्त हुआ)।

भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार के कारण:

- शैक्षणिक प्रदर्शन प्रतिष्ठा में सतत प्रगति (प्रति फैकल्टी साइटेशन मानदंड में बेहतर)।
- इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना में उत्कृष्ट प्रदर्शन (PM-USHA)
- रोजगार क्षमता में सुधार (पीएम इंटर्नशिप योजना, NATS),
- सततता में भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रभावी भूमिका, नीतिगत सुधार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग की व्यवस्था:

- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) (संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए)
- उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE): इसमें शिक्षक, नामांकन, पाठ्यक्रम, परीक्षा परिणाम, वित्त, अवसंरचना आदि को कवर किया जाता है।

निष्कर्ष

भारतीय विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन सतत सुधारों को दर्शाता है; दीर्घकालिक उत्कृष्टता के लिए आवश्यक संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।

5.5. भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस (Foreign University campus in India)

यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्पटन (यू.के.), **UGC विनियम, 2023** के तहत **भारत में कैंपस स्थापित करने वाला पहला वैश्विक विश्वविद्यालय** बन गया है।

UGC विनियम, 2023

- **उद्देश्य: नई शिक्षा नीति (NEP) 2020** के उद्देश्यों अनुरूप विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति देना।
- **मानदंड:** विश्व स्तर पर **समग्र/ विषयवार शीर्ष 500 में रैंकिंग**।
- **मंजूरी प्रक्रिया: UGC प्राथमिक (सैद्धांतिक) मंजूरी** प्रदान करेगा। संस्थान को **2 वर्षों के भीतर कैंपस स्थापित** करना होगा।
- **फैकल्टी के मामले में स्वायत्तता:** ये संस्थान अपने स्तर पर फैकल्टी की पात्रता, वेतन एवं सेवा शर्तें निर्धारित कर सकेंगे।
- **विद्यार्थियों को क्रेडिट ट्रांसफर की अनुमति: FHEI और भारत स्थित कैंपस** के बीच, तथा **भारतीय संस्थानों और विदेशी कैंपस** के बीच **क्रेडिट ट्रांसफर** की अनुमति होगी।

पक्ष में तर्क

- वैश्विक शिक्षा का अनुभव, विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्ति की सुलभता में सुधार
- नवाचार और ज्ञान का आदान-प्रदान
- देश के शैक्षणिक संस्थानों से प्रतिस्पर्धा
- भारत को वैश्विक शिक्षा का हब बनाना

विपक्ष में तर्क

- देश के संस्थानों को नुकसान
- शिक्षा का व्यवसायीकरण
- ब्रेन ड्रेन की आशंका
- असमान पहुँच

विनियमन में चुनौतियां: विदेशों और भारत में FHEI विनियमों के बीच टकराव, स्वायत्तता और समावेशिता में संतुलन, बौद्धिक संपदा/अनुसंधान पर स्पष्टता का अभाव, अनेक नियामक निकाय, संकाय भर्ती/वीजा मुद्दे।

आगे की राह

- राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना,
- स्वायत्तता/निगरानी में संतुलन (व्यवसायीकरण को रोकना),
- कार्यक्रमों को भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना,
- नियामक निकायों के बीच समन्वय, नियामक स्पष्टता (बौद्धिक संपदा, डेटा गोपनीयता, शुल्क),
- सहयोग (अनुसंधान/शिक्षण, उदाहरणार्थ, IITB-मोनाश), इनक्यूबेशन केंद्र बनाना।

निष्कर्ष

वैश्विक पहुँच प्रदान करना, लेकिन व्यवसायीकरण को रोकने, समान पहुँच सुनिश्चित करने और घरेलू संस्थानों की सुरक्षा के लिए संतुलित विनियमन की आवश्यकता है।

5.6. भारत में रैगिंग के मामले (Ragging in India)

केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को रैगिंग विरोधी कानून को सही ढंग से लागू करने के लिए नियम बनाने हेतु एक कार्य-समूह गठित करने का निर्देश दिया है।

विभिन्न हितधारकों पर रैगिंग के प्रभाव

- **पीड़ित:** PTSD, शैक्षणिक गिरावट, कम आत्मसम्मान।
- **संस्थान:** प्रतिष्ठा की हानि, नैतिक मूल्यों का ह्रास, प्रशासनिक चुनौतियाँ।
- **परिवार:** भावनात्मक/मनोवैज्ञानिक संकट, आर्थिक बोझ।
- **अपराधी:** करियर में रुकावटें, नैतिक/नैतिक पतन।

उन्मूलन में चुनौतियां

गहरी जड़ें जमाए सांस्कृतिक/पारंपरिक स्वीकृति, प्रतिशोध का डर, सख्त प्रवर्तन का अभाव (पीड़ितों पर सबूत का बोझ)।

UGC विनियम (2009)

- उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनिवार्य, संयुक्त संवेदीकरण कार्यक्रम,
- अपराधी पर सबूत का बोझ,
- पुलिस/स्थानीय प्रशासन/संस्था की निगरानी।

आगे की राह

- संस्थान की प्रतिष्ठा से ज़्यादा छात्र सुरक्षा को प्राथमिकता देना।
- राघवन समिति (2007) की सिफ़ारिशें (NAAC मान्यता कारक, "मेंटरिंग सेल"),
- 2009 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश (माता-पिता/अभिभावकों को संपर्क विवरण, वार्षिक जानकारी प्रदर्शित करें)।

निष्कर्ष

सुरक्षित परिसरों के लिए शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण, सख्त प्रवर्तन, और जागरूकता/मेंटरिंग के माध्यम से सांस्कृतिक बदलाव ज़रूरी हैं।

6. स्वास्थ्य देखभाल (HEALTHCARE)

6.1. आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat PM-JAY)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत **वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवर** को मंजूरी दी है। इसमें **70 वर्ष या उससे अधिक आयु** के सभी वरिष्ठ नागरिक इस योजना के पात्र होंगे, चाहे उनकी आय कुछ भी हो।

योजना के विस्तार से संबंधित विवरण

- लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ,
- 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष का परिवार-आधारित कवर,
- मौजूदा लाभार्थियों के लिए 5 लाख रुपये का टॉप-अप,
- मौजूदा सार्वजनिक योजनाओं/PM-JAY के बीच विकल्प,
- निजी बीमाधारक/ESIC होने पर भी पात्र।

AB PM-JAY के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने की आवश्यकता क्यों?

- बढ़ती जनसंख्या (70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आबादी 2021 में बढ़कर 4.3% हो गई और 2031 तक इससे दोगुनी होने की संभावना व्यक्त की गई है)।
- बुजुर्ग आबादी हेतु अपर्याप्त सुरक्षा तंत्र (बुजुर्ग आबादी के लगभग 1/5 हिस्से को ही स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर किया गया है, लगभग 78% लोगों को किसी तरह के पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है)
- परिवार पर निर्भर (लगभग 70% बुजुर्ग व्यक्ति)

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (2018) के बारे में

- केंद्र प्रायोजित योजना, गरीबों/कमजोर लोगों पर वित्तीय बोझ कम करती है और UHC सुनिश्चित करती है।
- कवरेज: SECC-2011/RSBY के माध्यम से 12 करोड़ परिवार (लगभग 55 करोड़ लाभार्थी)।
- वित्त पोषण: केंद्र-राज्य 60:40 (पूर्वोत्तर/हिमालयी 90:10, केंद्र शासित प्रदेश 100%)।
- कार्यान्वयन एजेंसी: NHA

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के प्रमुख घटक

- आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना (AAM) (इसके तहत 1,50,000 AAM की स्थापना की जाएगी)
- PMJAY (अस्पताल में भर्ती होने से पहले/बाद में, पहले से मौजूद बीमारियों के लिए 5 लाख रुपये /परिवार/वर्ष),
- राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी।

AB PM-JAY की प्रमुख उपलब्धियां

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुँच (35.4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, 7.79 करोड़ रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके स्वास्थ्य खर्चे का बिल भरा जा चुका है), स्वास्थ्य देखभाल के बोझ में कमी (आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय में 21% की कमी आई, आपातकालीन ऋणों की घटनाओं में 8% की कमी आई) स्वास्थ्य देखभाल में लैंगिक समानता (49% आयुष्मान कार्ड महिलाओं को जारी किए गए), स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को बढ़ावा (जिला अस्पतालों को प्रति वर्ष 26.1 मिलियन डॉलर का शुद्ध लाभ हो रहा है)

- **चुनौतियां (CAG रिपोर्ट, 2023 के अनुसार):** डेटाबेस त्रुटियाँ (अमान्य डेटा, डुप्लिकेट, गलत परिवार आकार), बुनियादी ढांचे के मुद्दे, वित्तीय अनियमितताएं, कार्यान्वयन में देरी।

निष्कर्ष

AB PM-JAY ने स्वास्थ्य सेवा में बदलाव किया; NHA को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सक्रिय उपाय लागू करने चाहिए।

6.2. डिजिटल स्वास्थ्य (Digital Health)

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के निर्माण में भारत की क्षमता पर प्रकाश डाला है।

महत्व

- बेहतर पहुंच/दक्षता (टेलीमेडिसिन)
- व्यक्तिगत देखभाल, शीघ्र निदान/दीर्घकालिक रोग प्रबंधन,
- साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा (विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान)।

चिंता

- गोपनीयता/सुरक्षा (एम्स साइबर हमला),
- एल्गोरिथम पूर्वाग्रह (अमेरिका का उदाहरण),
- समानता/पहुँच (खराब कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता),
- मानकीकरण संबंधी समस्याएं,
- जवाबदेही संबंधी चुनौतियां,
- गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ (टेलीहेल्थ सटीकता)।

डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल (GIDH)

- वैश्विक स्वास्थ्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रबंधित नेटवर्क, जिसका उद्देश्य मानकीकृत डिजिटल समाधानों के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार करना है।
- 4 स्तंभ (देश की आवश्यकताओं पर नज़र रखने वाला, देश संसाधन पोर्टल, परिवर्तन टूलबॉक्स, आयोजन और ज्ञान का आदान-प्रदान)।
- उद्देश्य: विश्व स्वास्थ्य संगठन की रणनीति के साथ तालमेल बिठाना, तकनीकी सहायता प्रदान करना, परिवर्तन उपकरणों को सुगम बनाना।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के बारे में

- अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को जोड़ने का लक्ष्य।
- **सिद्धांत:** निःशुल्क पंजीकरण, स्वैच्छिक भागीदारी, ऑप्ट-आउट, गोपनीयता संरक्षण। कार्यान्वयन: NHA
- **घटक:** आभा/ABHA ID (~79 करोड़ खाते), स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री (~6.57 लाख पेशेवर), स्वास्थ्य सेवा सुविधा रजिस्ट्री (>4 लाख सुविधाएं), एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफ़ेस (UHI), स्वास्थ्य दावा विनिमय (HCX)।
- **पहल:** QR-आधारित OPD, DHIS, निजी क्षेत्र के लिए माइक्रोसाइट।

आगे की राह

- सार्वभौमिक पहुँच बढ़ाना,
- कौशल को मजबूत करना (डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य पेशेवरों का कौशल बढ़ाना),
- स्वास्थ्य स्टैक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक),
- शासन/नैतिकता (निगरानी निकाय, आचार संहिता),
- विश्व बैंक डिजिटल-इन-हेल्थ दृष्टिकोण (अल्पसेवित लोगों को प्राथमिकता देना, वैश्विक सहयोग को जोड़ना, डिजिटल कौशल का विस्तार करना),
- डेटा संरक्षण (सहमति, विलोपन अधिकार)।

निष्कर्ष

भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा क्षमता अपार है, लेकिन वैश्विक मॉडल बनने के लिए नीतिगत समर्थन (साइबर सुरक्षा), बुनियादी ढांचे (भारतनेट, ब्लॉकचेन), सार्वजनिक-निजी सहयोग और तकनीकी प्रगति की आवश्यकता है।

6.3. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (Mental Healthcare)

मानसिक स्वास्थ्य खुशहाली या आरोग्यता की एक अवस्था है।

वर्तमान स्थिति:

- 10.6% वयस्क इससे पीड़ित हैं (NMHS 2015-16),
- 70-92% उपचार अंतराल, 25-44 वर्ष की आयु के लोग सबसे अधिक प्रभावित।
- विश्व स्तर पर, 8 में से 1 व्यक्ति मानसिक विकार से ग्रस्त है (WHO)।

चुनौतियाँ

- उपचार तक पहुँच (कलंक, लागत, अवधि),
- अपर्याप्त पेशेवर (0.75 मनोवैज्ञानिक/लाख),
- पुनर्वास संबंधी समस्याएं।

प्रमुख पहल

- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (2017) (आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है, हानिकारक उपचारों पर प्रतिबंध लगाता है),

- टेलीमानस,
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (आत्महत्या रोकथाम के लिए REDS),
- मनोदर्पण,
- किरण हेल्पलाइन।

आगे की राह

WHO के 5 प्रमुख सुधार (नेतृत्व, समुदाय-आधारित सेवाएं, कार्यबल, व्यक्ति-केंद्रित हस्तक्षेप, सामाजिक/संरचनात्मक निर्धारक), साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप, सामाजिक संवेदनशीलता, सामर्थ्य, डिजिटलीकरण।

6.4. मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन (Maternal Health and Family Planning)

UNFPA ने 50 वर्षों की साझेदारी में मातृ स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन में भारत की प्रगति की सराहना की है।

मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की दिशा में भारत की प्रगति

- मातृ मृत्यु दर (MMR) 70% घटकर (2000-2020) 97 (प्रति लाख जन्म) हुई,
- 2030 तक सतत विकास लक्ष्य (SDG) 70 का लक्ष्य;
- TFR घटकर 2.0 (NFHS-5) हो गया, जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है;
- 89% संस्थागत प्रसव (2019-21);
- शिशु मृत्यु दर (IMR) घटकर 28 (2020) हुई।

महत्व

- सामाजिक (महिलाओं/परिवारों का कल्याण),
- आर्थिक (उत्पादकता में कमी, स्वास्थ्य देखभाल व्यय में वृद्धि),
- जनसांख्यिकी (परिवार नियोजन पर प्रभाव, शिक्षा/रोजगार संकेतक के रूप में TFR)।

चुनौतियाँ

- क्षेत्रीय असमानताएं (बिहार, मेघालय में उच्च कुल प्रजनन दर),
- देखभाल/सेवा वितरण की गुणवत्ता (अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, कुशल कार्यबल),
- सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं (पितृसत्तात्मक प्रथाएँ, गर्भनिरोधक आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, कम उम्र में विवाह, किशोरावस्था में गर्भधारण)।

पहल

- सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना (SUMAN/सुमन),
- प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA),
- दाई सेवा पहल (90,000 दाइयों को प्रशिक्षण)।

निष्कर्ष

उल्लेखनीय प्रगति, लेकिन समान पहुँच के लिए क्षेत्रीय असमानताओं और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने हेतु निरंतर हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

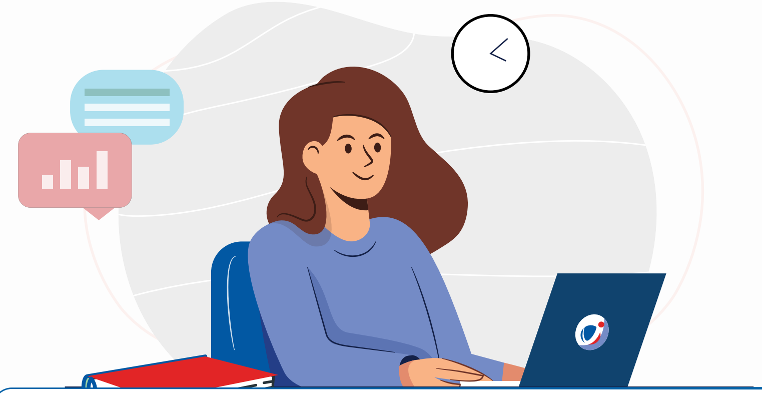

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ-साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व-मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट-टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड-रिलेशन, कोडिंग-डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप अप्रोच को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं- ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन-टू-वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे **ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम** के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन-टू-वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

7. पोषण और विकासात्मक मुद्दे (NUTRITION AND DEVELOPMENTAL ISSUES)

7.1. मध्यम-आय वर्ग (Middle-Income Class: MIC)

नई आयकर संरचना के तहत **मध्यम आय वर्ग** को महत्वपूर्ण कर लाभ प्रदान किया गया है।

मध्यम आय वर्ग (MIC) के बारे में

- **OECD** मध्यम-आय वाले परिवारों को ऐसे परिवारों के रूप में परिभाषित करता है जिनकी आय **औसत राष्ट्रीय आय के 75% से 200% के बीच** होती है। **OECD** देशों में औसतन लगभग 61% लोग मध्यम-आय वाले परिवारों में रहते हैं।
- **भारत में विकास:** LPG सुधारों (1990 के दशक) के बाद, MIC का विस्तार हुआ। 2047 तक इसके 31% (2021) से बढ़कर 60% (PRICE) होने का अनुमान है।

प्रभाव

- **अर्थव्यवस्था:** उपभोग कारक (2030-31 तक 2.7 ट्रिलियन डॉलर का वृद्धिशील व्यय), नए बाज़ार, समावेशी विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार असहिष्णुता में निवेश)।
- **शहरी अवसंरचना:** टियर II/III शहरों का उदय, विकास केंद्र (मॉल, मनोरंजन), आवासीय सोसाइटियों का विस्तार।
- **सामाजिक:** बेहतर परिणाम (संस्थाएं, सामाजिक-आर्थिक परिणाम), लोकतांत्रिक मूल्य (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पर्यावरण संबंधी चिंता)।

चुनौतियाँ

- आर्थिक (मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, स्थिर मजदूरी, कर का बोझ, ऋण का बोझ - वित्त वर्ष 23 में घरेलू ऋण GDP का 38%), तकनीक से खतरा (AI नौकरियों को विस्थापित कर रहा है),
- सामाजिक बाधाएं (महिलाओं के करियर को सीमित करने वाली पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियाँ),
- नीतिगत चुनौतियां (विषम संरचना),
- राजनीतिक चुनौतियां (उपेक्षा, कम प्रतिनिधित्व, दबाव समूहों की कमी)।

निष्कर्ष

MIC को सशक्त बनाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण (कर लाभ, किफायती आवास, श्रम नीतियाँ) की आवश्यकता है; वित्तीय सुरक्षा और सतत विकास के लिए व्यापक, हितधारक-संचालित योजना आवश्यक है।

7.2. कार्यस्थल ऑटोमेशन से जुड़े सामाजिक लाभ (Social Implications of Workplace Automation)

प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा AI को अपनाने से श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएँ जताई गई हैं।

भारत में कार्यस्थल ऑटोमेशन

- वित्त वर्ष 2029 तक भारत का औद्योगिक स्वचालन बाज़ार 29.43 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा।
- प्रेरक: डिजिटलीकरण, तकनीकी नवाचार, ग्राहकों की अपेक्षाएँ, प्रतिस्पर्धा, बढ़ती श्रम लागत, वृद्ध होती जनसंख्या।

लाभ:

- कौशल-नौकरी के अंतर/उत्पादकता को पाटना (AI-संचालित कार्य आवंटन, कौशल उन्नयन),
- लैंगिक समानता/विविधता को बढ़ावा देना (पूर्वाग्रहों को कम करना),
- बेहतर कार्य-जीवन संतुलन (कम दोहराव वाला काम),
- बेहतर ग्राहक सेवा।

चुनौतियाँ:

- बढ़ती आय असमानता (वेतन का ध्रुवीकरण, पुनर्कौशल से संबंधित बाधाएँ, लैंगिक असमानताएँ, गिग वर्कर असुरक्षा),
- मानसिक स्वास्थ्य (निगरानी से तनाव),
- कम मानवीय निगरानी (निर्णय क्षमता का क्षरण)।

कार्यस्थल संरचना परिवर्तन

- पिरामिड (पदानुक्रम) से ऑवरग्लास संरचना की ओर अग्रसर (AI मध्य प्रबंधन, व्यापक रणनीतिक नेतृत्व, विविध निचला स्तर)

आगे की राह

- आय समानता (अनौपचारिक/गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, पुनः कौशल विकास, लैंगिक अंतर को पाटना),
- कानूनी ढाँचा (गिग/टेलीवर्कर्स के लिए सुरक्षा कानूनों का अद्यतन, रोबोटिक्स नियम, डिस्कनेक्ट करने का अधिकार),
- मानव-केंद्रित एल्गोरिथम प्रबंधन (मानवीय निगरानी के साथ पारदर्शी, नैतिक AI),
- जागरूकता और स्थिरता (डिजिटल अधिकार, हरित स्वचालन)।

निष्कर्ष

सुरक्षा, समानता और कल्याण को बढ़ाने के लिए स्वचालन हेतु सहयोगात्मक, श्रमिक-केंद्रित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, जिससे स्थायी, समावेशी और मानवीय कार्यस्थलों का निर्माण होता है।

7.3. वर्क फ्रॉम होम (Work from Home)

हाल ही में, CII और दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (FMS) ने **"वर्क फ्रॉम होम: लाभ और लागत; भारतीय संदर्भ में एक अन्वेषणात्मक अध्ययन"** शीर्षक से एक अध्ययन प्रकाशित किया है।

मुख्य निष्कर्ष:

- 68% कंपनियां COVID-19 के बाद भी घर से काम (WFH) जारी रख रही हैं,
- सामाजिक/भावनात्मक/मानव पूंजी के लिए अल्पकालिक लाभ लेकिन दीर्घकालिक नुकसान,
- सहयोग के लिए प्रभावशीलता संबंधी चिंताएँ।

विकास

- COVID-19 की आवश्यकता,
- तकनीकी विकास सक्षम,
- "कहीं से भी काम करें" का चलन,
- महामारी के बाद घर से काम (WFH) को वापस लेना (स्टारबक्स, गूगल, अमेज़न)।

लाभ

- **कर्मचारी:** कम लागत (आवागमन, किराया), उत्पादकता में वृद्धि, कार्य संतुष्टि।
- **नियोक्ता/कॉर्पोरेट:** कम लागत (कार्यालय किराया, मुआवजा), भर्ती में लचीलापन, कर्मचारियों को बनाए रखने में वृद्धि (स्टैनफोर्ड अध्ययन: इस्तीफों में 33% की गिरावट)।
- **व्यापक परिवेश:** स्थायी कार्य पद्धतियाँ (कम कार्बन फुटप्रिंट, ESG लक्ष्य), समान विकास (विकेंद्रीकृत विकास, प्रवासन को कम करता है)।
- **पारिवारिक रिश्ते:** कार्य-जीवन संतुलन, काम के तनाव को कम करना, लैंगिक समानता (पुरुषों द्वारा घर के कामों में योगदान)।
- **महिलाएँ:** ज़िम्मेदारियों को संतुलित करना, बेहतर नौकरी के अवसर/प्रदर्शन, मातृत्व वेतन अंतर को कम करना।

चिंताएँ

- **कर्मचारी:** काम/घर की सीमाओं का धुंधला होना (तनाव, कम उत्पादकता, कम शारीरिक गतिविधि), कार्यस्थल की सीमाएँ, आराम की कमी (24/7 कार्य चक्र)।
- **नियोक्ता:** अंतर-संगठनात्मक संचार समस्याएँ, प्रबंधन संबंधी कठिनाइयाँ, पेशेवर अलगाव, गोपनीयता संबंधी चिंताएँ (डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा)।
- **पारिवारिक रिश्ते:** पारिवारिक तनाव (घरेलू हिंसा में वृद्धि), दोहरी ज़िम्मेदारियाँ (बच्चों की देखभाल/बुजुर्गों की देखभाल), मानसिक स्वास्थ्य (तनाव, क्रोध)।
- **महिलाएँ:** करियर संबंधी बाधाएं (कम वेतन, कम दृश्यता), पारंपरिक भूमिकाओं का दोहरा बोझ, कलंक।

आगे की राह

- सुधारित व्यवस्थाएँ (प्रबंधन दर्शन, प्रदर्शन निगरानी),
- हाइब्रिड पारिस्थितिकी तंत्र, नीति विकास (स्पष्ट दिशानिर्देश, जवाबदेही, गोपनीयता),
- बुनियादी ढांचा (दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, भारतनेट)।

निष्कर्ष

कार्य का भविष्य समावेशी, लचीला, सुदृढ़ मॉडल है जो घर से काम करने के लाभों का लाभ उठाते हुए इसकी अंतर्निहित चुनौतियों का समाधान करता है।

7.3.1. भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' ('Right to Disconnect' in India)

हाल ही में, वर्क-लाइफ संतुलन से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर भारत में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' की मांग बढ़ रही है।

- **परिभाषा:** कर्मचारियों को कार्य समय के बाद कॉल का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, अनुपालन न करने पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

आवश्यकता

- मनो-सामाजिक (संबंधों में कमी, अलगाव, मानसिक/हृदय संबंधी समस्याएं),
- महिलाओं पर प्रभाव (पेशेवर नौकरियों में 55 घंटे से अधिक/सप्ताह काम),
- उत्पादकता में कमी, अनिद्रा/नींद की समस्याएं।

भारत में स्थिति

- कोई विशिष्ट कानून नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रावधान {अनुच्छेद 38, 39(e)},
- न्यायिक निर्णय (विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, रवींद्र कुमार धारीवाल बनाम भारत संघ),
- 2018 निजी सदस्य विधेयक।

वैश्विक स्थिति

- फ्रांस (कर्मचारी घर से काम करने/फाइलें लेने के लिए बाध्य नहीं),
- पुर्तगाल (आपात स्थिति को छोड़कर, नियोक्ताओं के लिए कार्य समय के बाहर संपर्क करना अवैध),
- स्पेन (उपकरण बंद करने का अधिकार)।

निष्कर्ष

डिजिटलीकरण के साथ, कार्य की प्रकृति बदल जाती है, जिससे पारिवारिक संबंध और कार्य-जीवन संतुलन प्रभावित होता है; संकरण और लचीलेपन की आवश्यकता है।

7.4. जनसंख्या वृद्धि और प्रबंधन (Population Growth and Management)

विशेषज्ञ अब 'जनसंख्या नियंत्रण' की पुरानी नीति की बजाय, विशेषकर भारत में, **'स्थिर जनसंख्या वृद्धि और प्रबंधन'** के महत्व पर जोर देकर **जनसंख्या विस्फोट के डर का खंडन** कर रहे हैं।

भारत में जनसंख्या नीति का विकास

- **स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी नीतियां**: राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम (1952) (कम प्रजनन क्षमता, धीमी वृद्धि, प्रोत्साहन), पहली पंचवर्षीय योजना (1952-57) (जन्म दर कम करना), चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) (स्वास्थ्य औचित्य पर जनसांख्यिकी, दमनकारी नीतियाँ, आपातकाल के दौरान सामूहिक नसबंदी)।
- **जनसंख्या प्रबंधन (बदलाव):** 1983 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ("सामुदायिक आवश्यकता मूल्यांकन दृष्टिकोण"), ICPD PoA (1994) (केंद्र में व्यक्तिगत अधिकार), NPP 2000 (समग्र रूपरेखा, "अधूरी ज़रूरतें"), NHM (RMNCH+A दृष्टिकोण), JSY, JSSK, मिशन परिवार विकास।

भारत की वर्तमान स्थिति

- प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से कम कुल जन्म दर (2.0);
- जनसांख्यिकीय लाभांश (लाभांश प्राप्त करने का अवसर 33 वर्ष, चरम 2041)

घटती जनसंख्या से संभावित समस्याएं

- जनसांख्यिकीय शीतकाल (कार्यशील आयु पर दबाव),
- कम कार्यशील आयु वाली जनसंख्या,
- प्रवासन चुनौतियां (क्षेत्रीय असमानताएं),
- राजनीतिक निहितार्थ (सीमांकन)।

वैश्विक सबक

- जापान (श्रम की कमी, स्वास्थ्य/पेंशन लागत),
- चीन का एक-बच्चे से तीन-बच्चे की नीति में बदलाव,
- हंगरी/रूस द्वारा बच्चे पैदा करने को बढ़ावा देना।

आगे की राह (जनसंख्या प्रबंधन दृष्टिकोण):

- जनसांख्यिकीय लाभांश के निरंतर लाभ,

- एजेंसी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना (प्रजनन क्षमता/परिवार नियोजन में महिलाओं की एजेंसी को प्राथमिकता दी जाती है),
- जनसंख्या का सशक्तिकरण (युवा शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी सुविधाएं)।

निष्कर्ष

भारत की जनसंख्या नीति गतिशीलता के साथ विकसित हुई है; 'विकसित भारत' के लिए सतत प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

7.5. ग्लोबल हंगर इंडेक्स (Global Hunger Index)

आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्डवाइड और जर्मनी के वेल्थंगरहिल्फ़ गैर-सरकारी संगठनों ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI), 2024 जारी किया।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI), 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वैश्विक/क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर भूख को मापने/ट्रैक करने का उपकरण।
- 4 संकेतक: अल्पपोषण (1/3), बाल ठिगनापन (1/6), बाल दुबलापन (1/6), बाल मृत्यु दर (1/3)।
- गंभीरता पैमाना: अत्यंत चिंताजनक, चिंताजनक, गंभीर, मध्यम, निम्न।

मुख्य निष्कर्ष

- **वैश्विक:** 42 देश चिंताजनक भूख के स्तर पर, 2030 तक शून्य भुखमरी का लक्ष्य प्राप्त करना असंभव, 2160 तक निम्न भुखमरी प्राप्त करने की वर्तमान गति, विश्व GHI स्कोर 18.3 (मध्यम)। लिंग-जलवायु-भूख का संबंध (महिलाएं/लड़कियां सबसे अधिक प्रभावित)।
- **भारत:** 127 में से 105वाँ स्थान (2023 में 111वें स्थान से बेहतर), "गंभीर" श्रेणी, GHI स्कोर 27.3 (बेहतर), उच्च बाल दुबलापन/ठिगनापन। 13.7% कुपोषित, 35.5% बच्चे ठिगनेपन से पीड़ित, 18.7% दुबलेपन से ग्रसित, 2.9% बाल मृत्यु दर।

GHI से जुड़ी समस्याएं

- पद्धतिगत सीमाएँ/आंकड़ों की कमी,
- त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली (चार में से तीन संकेतक बाल स्वास्थ्य पर केंद्रित हैं), दोषपूर्ण संकेतक (ठिगनापन), पुराना आंकड़ा, छोटा नमूना आकार (PoU)।

भूख संकट के पीछे के कारक

- संघर्ष (कमजोर देशों में लगभग 70% लोग अत्यधिक भूखे हैं) और विस्थापन।
- जलवायु संकट
- आर्थिक चुनौतियां

भारत में कुपोषण के पीछे के कारक

- शहरीकरण (अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ),
- कुपोषित माताएं (57% एनीमिया से पीड़ित महिलाएँ, NFHS-5),
- निम्न शिक्षा/सामाजिक-आर्थिक स्थिति,
- कमजोर वर्ग (OBC, SC, ST)।

भुखमरी से निपटने के लिए पहल:

- **भारत:** NFSA (2013), PMGKAY, पीएम मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, ईट राइट मूवमेंट।
- **वैश्विक:** SDG 2 (शून्य भुखमरी), विश्व खाद्य कार्यक्रम, शून्य भुखमरी चुनौती, FAO।

निष्कर्ष

नीतिगत सिफारिशों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति जवाबदेही को मजबूत करना, जेंडर के प्रति परिवर्तनकारी दृष्टिकोणों को बढ़ावा देना और लैंगिक, जलवायु और खाद्य न्याय निवेश को एकीकृत करना शामिल है।

7.6. शहरीकरण (Urbanization)

परिभाषा: कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि को शहरीकरण कहा जाता है। इसका निर्धारण **जनसंख्या के आकार और घनत्व, प्रमुख आर्थिक गतिविधियों (गैर-कृषि) और प्रशासनिक संरचना** के आधार पर किया जाता है। शहरी क्षेत्र **संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का संगम** होते हैं।

भारत में स्थिति

- शहरी जनसंख्या 36.87% (विश्व बैंक 2024),
- 2036 तक 40% अनुमानित। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 60% (नीति आयोग 2022)।

- शहरी झुग्गी-झोपड़ियाँ शहरी जनसंख्या का 49% (विश्व बैंक 2020)।

प्रेरक कारक

- सामाजिक (जनसंख्या वृद्धि, ग्रामीण-शहरी प्रवास, आधुनिकीकरण),
- आर्थिक (अवसंरचना के संकेंद्रण से उत्पन्न अर्थव्यवस्थाएँ),
- सरकारी नीतियाँ (शहर-केंद्रित विकास),
- अन्य (उद्योगपतियों द्वारा टाउनशिप, शहर का विस्तार)।

चुनौतियाँ

- शहरी फैलाव (झुग्गी-झोपड़ियाँ, पर्यावरणीय क्षरण),
- घेट्टोकरण (सामाजिक अलगाव, गेटेड समुदाय),
- सामाजिक सामंजस्य का अभाव, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा,
- अन्य (बाढ़, यातायात, स्वच्छता)।

प्रमुख पहल:

- प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी),
- प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना,
- स्मार्ट सिटी मिशन,
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी),
- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 11,
- नया शहरी एजेंडा (संयुक्त राष्ट्र पर्यावास III)

आगे की राह

संतुलित शहरीकरण (टियर-II/III शहर, ग्रामीण क्षेत्र), शहरी नियोजन (पारगमन-उन्मुख विकास), सामाजिक समावेशन (सामाजिक सुरक्षा, शहरी गरीबों के लिए प्रशिक्षण), शासन (विकेंद्रीकृत, समुदाय-संचालित, मलिन बस्तियों में स्वयं सहायता समूह)।

7.7. आंतरिक विस्थापन (Internal Displacement)

आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC) के अनुसार वैश्विक स्तर पर **83.4. मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित** हुए थे।

- **परिभाषा:** मूल देश के भीतर जबरन प्रवास (UNFCCC)। आंतरिक रूप से विस्थापित लोग संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन और आपदाओं के कारण पलायन करते हैं। भारत: संघर्ष के कारण 1,700, आपदाओं के कारण 5.4 मिलियन।
- **प्रवास:** स्थायी निवास परिवर्तन के साथ स्थानिक गतिशीलता। जनगणना में दो प्रकार: जन्मस्थान, अंतिम निवास।

प्रवास के कारण (भारत)

- रोज़गार/कार्य, विवाह (81% महिलाएँ), अध्ययन, प्राकृतिक आपदाएँ, सामाजिक/राजनीतिक समस्याएं, विकास परियोजनाएँ।

आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे:

- बुनियादी सेवाओं (स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पानी) का अभाव,
- सामाजिक सुरक्षा का अभाव (राज्यों की उदासीनता),
- श्रम बाज़ार की भेद्यता (लगभग 3/4 प्रवासी महिलाएं बेरोजगार, PLFS),
- राजनीतिक भागीदारी (मतदाता सूची के कारण मतदान नहीं कर सकतीं),
- अपर्याप्त आँकड़े।

पहल

- पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए राष्ट्रीय नीति (2007),
- कल्याणकारी योजनाओं (एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत) तक पहुँच बढ़ाना।

आगे की राह

- अनुसंधान अंतरालों को दूर करना (लिंग-विभाजित आँकड़े),
- लक्षित नीति ढाँचा, संस्थागत सुधार (प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ, समन्वय समितियां),
- विकास-प्रेरित विस्थापन को कम करना (पेसा/PESA, FRA),
- जागरूकता बढ़ाना (नीति निर्माता, नियोक्ता, वित्तीय संस्थान)।

निष्कर्ष

समन्वित नीतिगत सुधार, बेहतर आंकड़े, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए बेहतर सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है।

7.8. अकेलापन (Loneliness)

'विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)-सामाजिक संपर्क आयोग' ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है **'फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन'।** यह रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करती है कि अकेलापन व्यापक रूप से फैला हुआ है, जिसका स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

अकेलेपन की समस्या की गंभीरता

- वैश्विक स्तर पर लगभग 16% लोगों ने अकेलेपन का अनुभव किया (2014-23)।
- निम्न-आय वाले देशों में यह दर ज़्यादा है (24% बनाम अमीर देशों में 11%)।
- हाशिए पर रहने वाले समूह ज़्यादा असुरक्षित हैं।

कारक

- प्रवासन, व्यक्तित्व लक्षण, इंटरनेट की लत, लंबे काम के घंटे, पेशेवर विफलताएँ, वृद्ध (सेवानिवृत्ति, खाली घर), सामाजिक बहिष्कार।

प्रभाव

- स्वास्थ्य जोखिम (50% बढ़ा हुआ मनोभ्रंश, 29% हृदय रोग, 32% स्ट्रोक),
- अस्वास्थ्यकर आदतें (मादक द्रव्यों का सेवन, नींद की समस्याएँ),
- अकाल मृत्यु,
- नौकरी से संतुष्टि में कमी,
- शिक्षा का खराब परिणाम।

आगे की राह

- सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना (बातचीत के लिए जानबूझकर डिज़ाइन करना, समान पहुँच, सामुदायिक कार्यक्रम)
- सामुदायिक स्तर (सुलभ बुनियादी ढांचा, सामाजिक उद्देश्य, अंतर-पीढ़ी कार्यक्रम)
- व्यक्तिगत स्तर (सचेतनता, सार्थक संबंध)
- सामाजिक स्तर (शैक्षिक अभियान, नीतियाँ, वित्तपोषण)

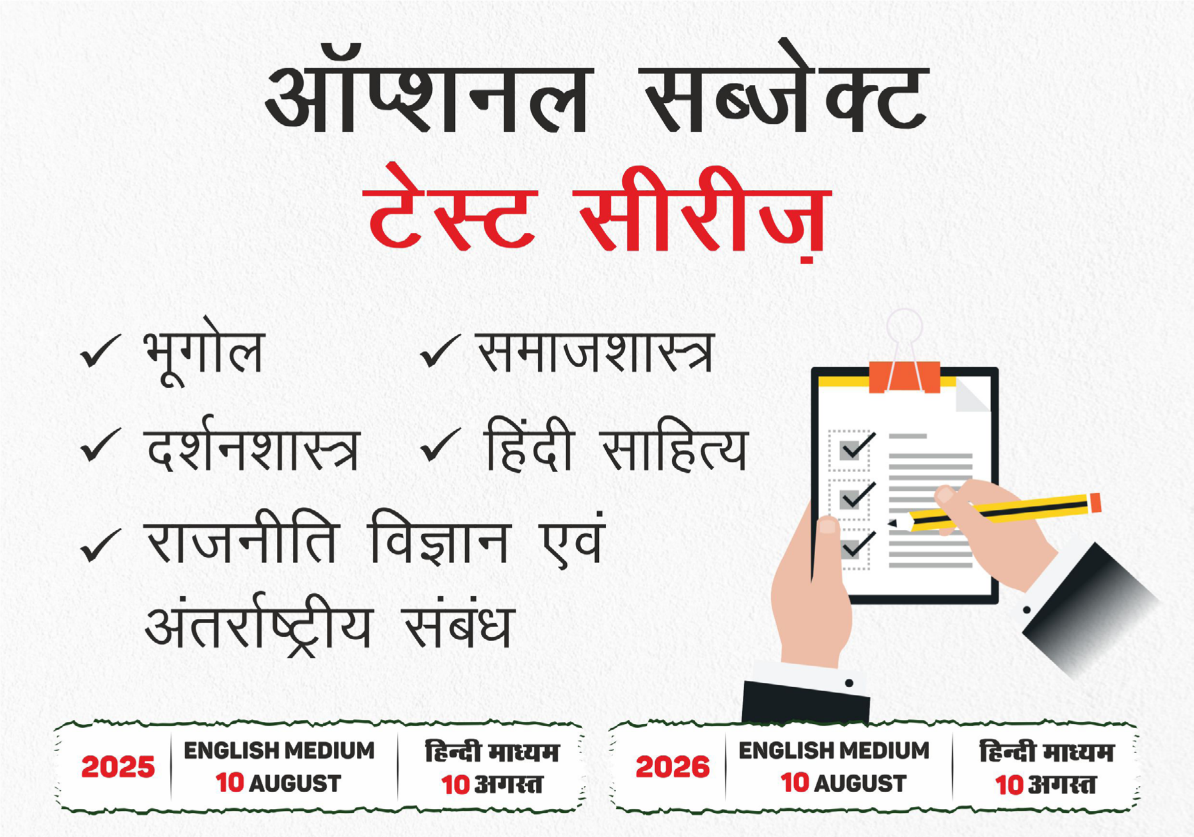

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

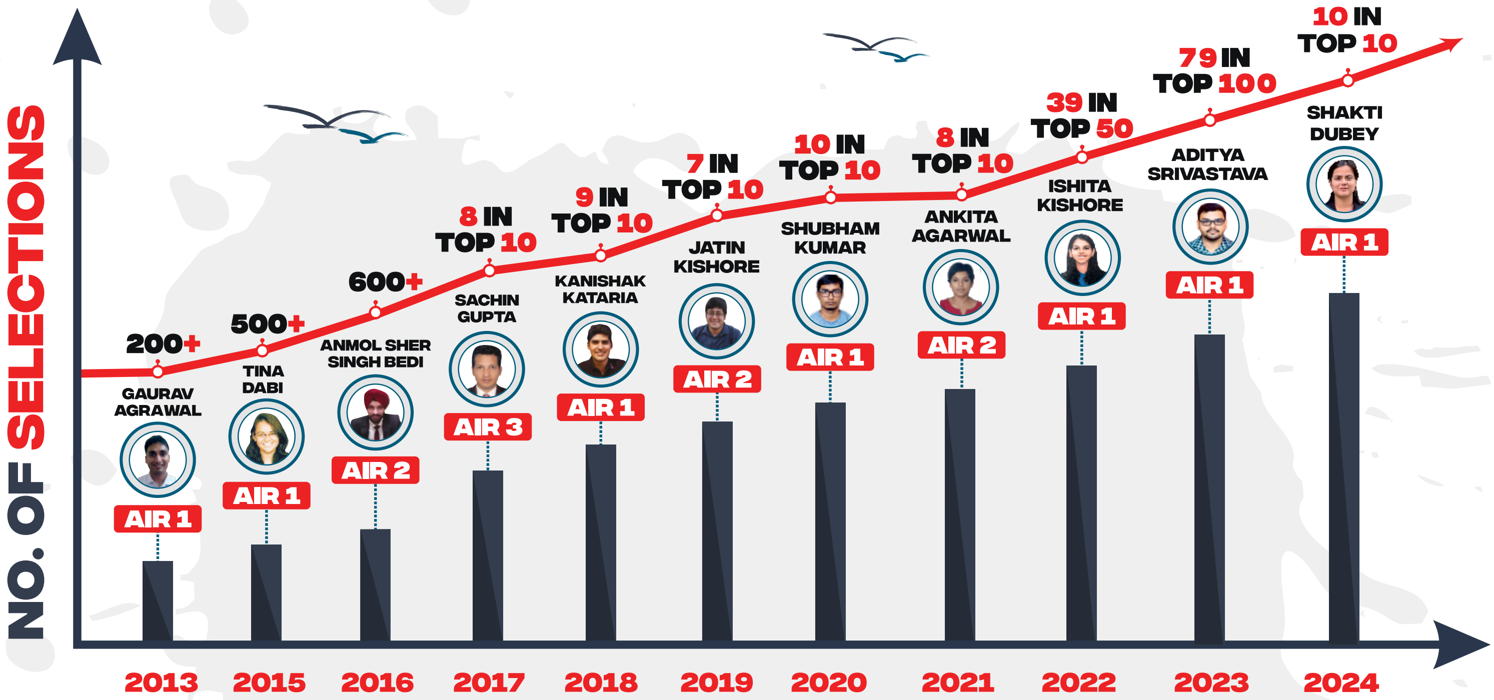

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI : 30 JULY, 8 AM | 7 AUGUST, 11 AM | 14 AUGUST, 8 AM
19 AUGUST, 5 PM | 22 AUGUST, 11 AM | 26 AUGUST, 2 PM | 30 AUGUST, 8 AM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 10 JULY, 8 AM | 29 JULY, 6 PM

हिन्दी माध्यम | 7 अगस्त, 2 PM

AHMEDABAD: 12 JULY	BENGALURU: 25 AUGUST	BHOPAL: 27 JUNE	CHANDIGARH: 18 JUNE

HYDERABAD: 30 JULY	JAIPUR: 5 AUG	JODHPUR: 10 AUG	LUCKNOW: 22 JULY	PUNE: 14 JULY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI : 7 अगस्त, 2 PM | **JAIPUR : 20 जुलाई** | **JODHPUR : 10 अगस्त**

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 | **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

10 in **TOP 10** Selections in **CSE 2024**
from various programs of **Vision IAS**

1 AIR
Shakti Dubey

2 AIR
Harshita Goyal
GS Foundation Classroom Student

3 AIR
Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom Student

4 AIR
Shah Margi Chirag

5 AIR
Aakash Garg

6 AIR
Komal Punia

7 AIR
Aayushi Bansal

8 AIR
Raj Krishna Jha

9 AIR
Aditya Vikram Agarwal

10 AIR
Mayank Tripathi

हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

137 AIR
Ankita Kanti

182 AIR
Ravi Raaz

438 AIR
Mamata

448 AIR
Sukh Ram

509 AIR
Amit Kumar Yadav

HEAD OFFICE
DELHI
33, Pusa Road,
Near Karol Bagh Metro Station,
Opposite Pillar No. 113,
Delhi - 110005

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /@visionias hindi | /visionias.upsc | /vision_ias_hindi/ | /hindi_visionias

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची